मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका

Handbook for BLOs

2011

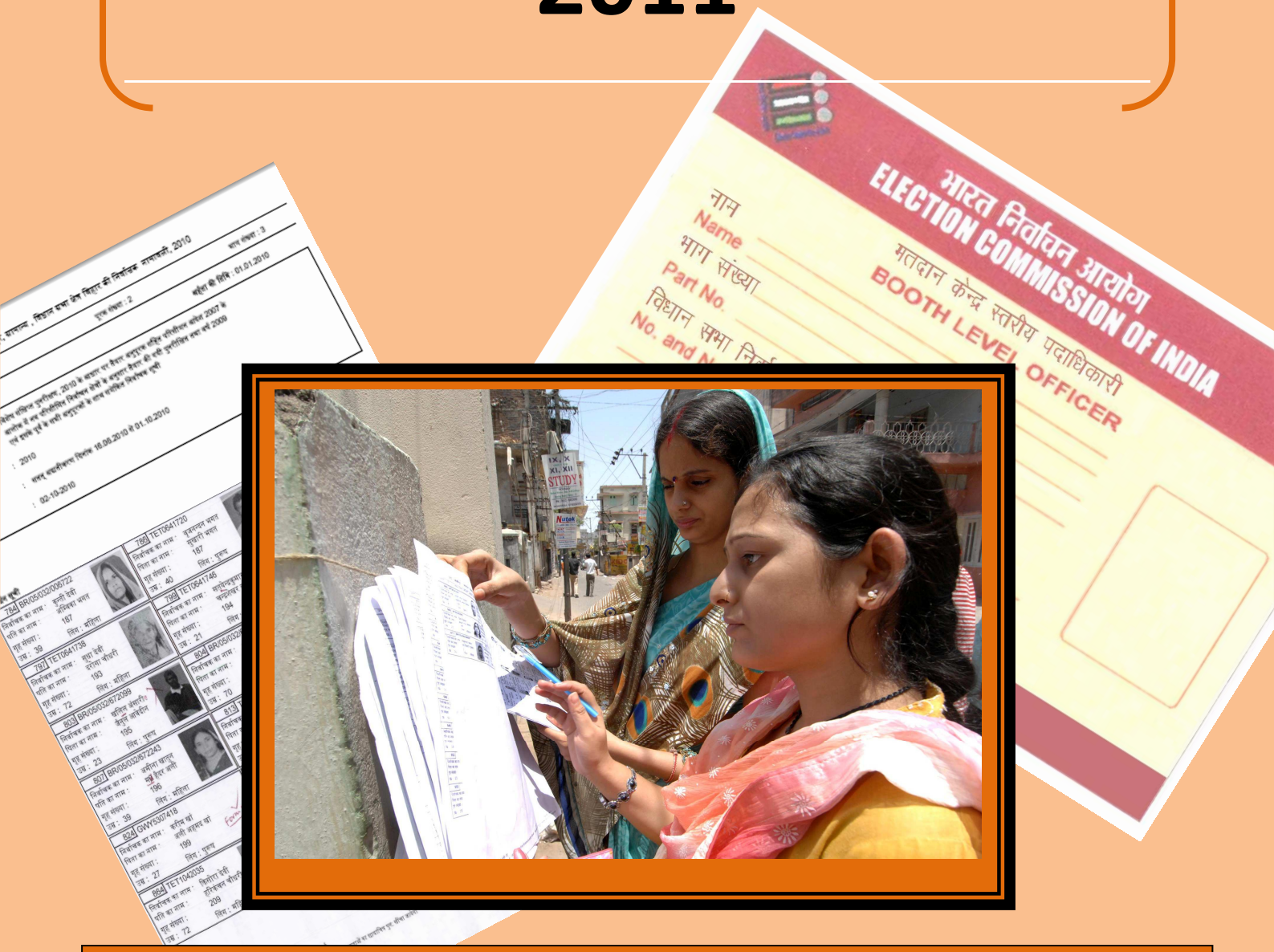

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड),पटना–800015

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
I	परिचय • बी0एल0ओ0 कौन है • बी0एल0ओ0 की नियुक्ति • बी0एल0ओ0 के कर्तव्य और दायित्व • बी0एल0ओ0 किट • बी0एल0ओ0 का मानदेय • बी0एल0ओ0 के लिये मानक पहचान पत्र एवं मानक आवासीय नाम पट्ट	5–9
II	संबंधित संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान • भारतीय संविधान के प्रावधान • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारायें • भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारायें	10–11
III	निर्वाचन व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र	12–14
IV	निर्वाचक पंजीकरण के सामान्य सिद्धान्त • निर्वाचक के रूप में कौन पंजीकृत हो सकते हैं • निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु निरर्हता • सामान्य निवासी का तात्पर्य • सामान्य निवास के आम सिद्धान्तों का अपवाद	15–17
V	निर्वाचक सूची क्या है • निर्वाचक सूची की संरचना • निर्वाचक सूची की भाषा • मतदान केन्द्र	18–20
VI	निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण • पुनरीक्षण के प्रकार • निर्वाचक सूची की तैयारी • पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान दावे और आपत्तियां • जन्म तिथि व जन्म स्थान के संबंध में	21–27

	• सहायक दस्तावेज़ों की सूची • अनुपूरकों की तैयारी • सतत अद्यतीकरण	
VII	प्रवासी निर्वाचकों का निबंधन	28
VIII	सेवा निर्वाचकों का निबंधन	29–30
IX	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक) • ईपिक का प्रारूप • ईपिक निर्माण एवं वितरण • ईपिक जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया • ईपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु	31–34
X	बी0एल0ओ0 की पंजी	35–38
XI	मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0)	39
XII	राष्ट्रीय मतदाता दिवस	40
XIII	निर्वाचक सूची की तैयारी में बी0एल0ओ0 की भूमिका • ज्ञान, कौशल व दृष्टिकोण • दावे/आपत्तियां प्राप्त करते समय बी0एल0ओ0 द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य बिन्दु • प्राप्त प्रपत्रों का रख–रखाव • ईपिक का विवरण • बी0एल0ए0 से संपर्क • निर्वाचक सूची की पाण्डुलिपि के सत्यापन में ग्राम सभा/वार्ड सभा/आर0डब्लू0ए0 का इस्तेमाल • राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रमों का संचालन • बी0एल0ओ0 के कार्यों का मूल्यांकन	41–45
परिशिष्ट		47–147
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से निर्गत परिपत्रों का उद्धरण		148–156
मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (बी0एल0ओ0) के लिये विभिन्न परिस्थितियों में कार्रवाई हेतु उपयोगी सुझाव – क्या करें और क्या न करें		157–160
बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके समाधान/उत्तर		161–165
वैकल्पिक उत्तरों के साथ प्रश्नावली		166–186

अध्याय–I

प्रस्तावना

1. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु निर्वाचक सूची का शुद्ध एवं त्रुटिहीन होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। निर्वाचन संबंधी कतिपय अनियमिततायें यथा बोगस मतदान एवं छद्मवेशीकरण (Impersonation) इत्यादि काफी हद तक त्रुटिपूर्ण निर्वाचक सूची के ही परिणाम होते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचकों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन संबंधी अनियमितताओं को कम करने हेतु निर्वाचक पंजीकरण प्रक्रिया तथा निर्वाचक सूची की गुणवत्ता में सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः निर्वाचक सूची की तैयारी एवं पुनरीक्षण पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।
2. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान का मूल आधार निर्वाचक सूची की शुद्धता होती है, अतः इस दिशा में प्रभावी प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
3. इस हस्तपुस्तिका के माध्यम से निर्वाचक सूची तैयार करने, उसका पुनरीक्षण करने तथा रख–रखाव सुनिश्चित करने के विषय में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसमें मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (बी0एल0ओ0) के दृष्टिकोण से सभी बिन्दुओं का समावेश किया गया है, परन्तु यह ध्यान रखा जाये कि यह हस्तपुस्तिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के सुसंगत प्रावधानों एवं निर्वाचक सूची तैयार तथा पुनरीक्षित करने हेतु समय–समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का विकल्प नहीं होगी। अतः कार्रवाई करते समय मूल प्रावधानों/अनुदेशों का ध्यान अवश्यक रखा जाये।

बी0एल0ओ0 कौन हैं

बी0एल0ओ0 स्थानीय सरकारी/अर्द्ध–सरकारी कर्मी होते हैं, जो स्थानीय निर्वाचकों से परिचित होते हैं एवं सामान्यतया उसी मतदान क्षेत्र के निर्वाचक होते हैं तथा जो अपनी स्थानीय जानकारी का उपयोग कर निर्वाचक सूची के अद्यतीकरण में सहयोग करते हैं । वस्तुतः बी0एल0ओ0 भारत निर्वाचन आयोग के आधारभूत स्तर (grass-root level) के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने आवंटित मतदान क्षेत्र में निर्वाचक सूची हेतु वास्तविक स्थानीय सूचनाएं एकत्रित करने तथा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यद्यपि बी0एल0ओ0 पूर्णकालिक निर्वाचन कर्मी नहीं होते हैं, परन्तु इनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति के कारण इनका दायित्व अत्यधिक होता है क्योंकि वे एक महत्त्वपूर्ण नागरिक का निर्वहन कर रहे होते हैं। बी0एल0ओ0 के अधीन एक या दो मतदान केन्द्र क्षेत्र होते हैं एवं वे निर्वाचक सूची से संबधित मामलों में स्थानीय निवासियों के सलाहकार, मार्गदर्शक एवं मित्रस्वरूप होते हैं।

बी0एल0ओ0 की नियुक्ति

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 B (2) के अन्तर्गत बी0एल0ओ0 की नियुक्ति सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के बीच से की जाती है। सामान्यतः एक बी0एल0ओ0 पर किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग की निर्वाचक सूची की ज़िम्मेवारी होती है। बी0एल0ओ0 को संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर नियुक्त किया जाता है। बी0एल0ओ0 की नियुक्ति निम्नलिखित सूची में वर्णित सरकारी/अर्द्धसरकारी श्रेणी के कर्मियों के बीच से की जा सकती है :–

1. शिक्षक
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
3. पटवारी/अमीन/लेखपाल
4. पंचायत सचिव
5. ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता
6. विद्युत विपत्र रीडर

7. पोस्टमैन
8. ए.एन.एम. (Auxiliary Nurse Midwife)
9. स्वास्थ्य कार्यकर्ता
10. मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता
11. संविदा शिक्षक
12. निगम कर संग्रहकर्ता
13. नगरीय क्षेत्र के लिपिक वर्ग (उच्च/निम्न वर्गीय लिपिक आदि)

2. **मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) अपने पैतृक कार्यालय द्वारा सौंपे गये मूल पद के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे तथा सामान्य तौर पर अपने प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण में रहेंगे, परन्तु जिला निर्वाचन पदाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाना है।**

3. **सम्बन्धित मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपना निर्वाचन संबंधी प्रभार सौंपे बिना किसी भी दशा में अवकाश पर प्रस्थान न करें।** स्थानान्तरण की स्थिति में भी उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना है कि वे ससमय अपने प्रतिस्थानी को निर्वाचन संबंधी कागजात, अभिलेख एवं पंजियाँ हस्तगत करा दें। यदि उनके प्रतिस्थानी की नियुक्ति न हुई हो तो ऐसी दशा में बी0एल0ओ0 द्वारा अपने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को सभी निर्वाचन संबंधी कागजात, अभिलेख एंव पंजियाँ हस्तगत करने के बाद ही अपने नवपदस्थापन के स्थान हेतु प्रस्थान करना है।

4. चूंकि बी0एल0ओ0 निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण से सम्बद्ध होंगे, अतः इस हेतु वे भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे एवं भारत निर्वाचन आयोग के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। कर्तव्य में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर बी0एल0ओ0 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 (**अनुलग्नक–1.2**) के तहत दण्डित किया जा सकेगा।

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व

बी0एल0ओ0 को सौंपे गये भाग क्षेत्र की निर्वाचक सूची का व्यापक अध्ययन उनके द्वारा किया जाना है। उनके द्वारा ग्रामों/टोलों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय व्यक्तियों, विशेष कर ग्राम के बुजुर्गों एवं स्थानीय स्तर पर चयनित जन–प्रतिनिधियों, से संपर्क भी किया जाना है तथा निर्वाचक सूची में अंकित मृत/स्थानांतरित/दोहरी प्रविष्टि वाले ऐसे निर्वाचकों की पहचान की जानी है जिन्हें सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची से हटाया जाना आवश्यक हो। बी0एल0ओ0 के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

- दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना।
- घर–घर जा कर दोहराव, प्रवास, स्थानांतरण/विस्थापन की जांच करना।
- स्थानान्तरित/मृत/अस्तित्वहीन (non-existing) निर्वाचकों की पहचान करना।
- परिवर्धन एवं विलोपन संबंधी त्रुटियों की जांच करना।
- निर्वाचक सूची में निर्वाचकों के नामों की वर्तनी (Spelling), नामों की दोहरी प्रविष्टि, भाग शीर्ष पृष्ठ, छायाचित्र इत्यादि संबंधी विवरणों की जांच करना।
- निर्वाचकों के छायाचित्र प्राप्त करना।
- निर्वाचकों के मोबाईल फोन नम्बर प्राप्त करना (निर्वाचकों के लिये ऐच्छिक)।
- निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित करना ताकि ऐसे व्यक्तियों को नोटिस निर्गत की जा सके जिनके नाम विलोपित किये जाने हों।
- अभिहित स्थलों पर प्रारूप निर्वाचक सूची/निर्धारित नोटिसों का प्रदर्शन।
- ग्राम/वार्ड सभाओं में निर्वाचक सूची का पठन – शहरी क्षेत्र में निर्वाचकों के पंजीकरण हेतु अधिवासी कल्याण संघ (Residents' Welfare Association - RWA) से सम्पर्क बनाना।
- ईपिक निर्माण के उपरांत सही एवं पात्र व्यक्ति को ईपिक वितरित किया जाना तथा किसी भी दशा में इसे किसी अन्य व्यक्ति को न दिया जाना।

- अधिकाधिक व्यक्तियों का पंजीकरण एवं ईपिक आच्छादन करना।
- स्वीप (SVEEP) संबंधी कार्य यथा नुक्कड़–नाटक, नाटक–मंचन, दीवार–लेखन इत्यादि।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस संबंधी गतिविधियाँ – शपथ दिलाया जाना एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचकों का आह्वान करना।
- भाग क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले प्रभागों एवं उनमें पड़ने वाले भवनों को सही प्रकार से क्रमांकित करना।
- मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) से समन्वय स्थापित करना।
- प्राप्त प्ररूपों का विस्तृत ब्यौरा रखना।
- पंजीकरण के अवसर पर मतदाताओं को सामान्य जानकारी प्रदान करना।
- निर्वाचन के पूर्व मतदाता पर्ची का वितरण।
- अतिव्याप्ति (Overlapping) से बचने हेतु, विशेषकर नई विकसित कॉलोनियों के परिप्रेक्ष्य में, सामान्य भौगोलिक सीमाओं के साथ नजरी नक्शा तैयार करना।

बी0एल0ओ0 की किट

प्रत्येक बी0एल0ओ0 को किट के रूप में एक बैग प्रदान किया जाना है जिस पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रतीक चिन्ह छपा होगा । इस बैग में निम्नलिखित सामग्रियां रखी जायेंगी :–

1. बी0एल0ओ0 की हस्तपुस्तिका की एक प्रति।
2. बी0एल0ओ0 रजिस्टर।
3. बी0एल0ओ0 का पहचान–पत्र।
4. लिखने की एक तख्ती एवं समुचित मात्रा में कागज।
5. सादा रजिस्टर।
6. कलम, पेन्सिल, रबर (Eraser) तथा स्केल।
7. समुचित मात्रा में प्ररूप 6, 6ए, 7, 8 एवं 8ए।

बी0एल0ओ0 का मानदेय

- नियत राशि – जिन बी0एल0ओ0 को मात्र एक भाग क्षेत्र (मतदान केन्द्र) आवंटित हों, उन्हें ₹3000/– प्रति वर्ष की दर से। जिन बी0एल0ओ0 के पास एक से अधिक भाग क्षेत्र हों, उन्हें एक क्षेत्र हेतु ₹3000/– प्रति वर्ष के साथ शेष भाग क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त मानदेय के रूप में ₹750/– की राशि प्रति वर्ष दी जानी है।
- परिवर्तनशील राशि :–
  - ❖ फोटो निर्वाचक सूची में छायाचित्रों की प्रविष्टि हेतु बी0एल0ओ0 को ₹4/– प्रति नये छायाचित्र की दर से भुगतान किया जाना है, यदि संबंधित भाग क्षेत्र की निर्वाचक सूची में फोटो आच्छादन 90% से कम हो।
  - ❖ फोटो निर्वाचक सूची में नये छायाचित्रों की प्रविष्टि हेतु बी0एल0ओ0 को ₹5/– प्रति छायाचित्र की दर से भुगतान किया जाना है, यदि संबंधित भाग क्षेत्र की निर्वाचक सूची में फोटो आच्छादन 90% या उससे अधिक हो।

<u>मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (बी0एल0ओ0) के लिए मानक पहचान पत्र (Standard Identity Card for BLOs) तथा मानक आवासीय नाम पट्ट (Standard Name Board for BLOs' Residence) का निर्माण</u>

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 491/IEC/2010 (ER)/166 दिनांक 21.09.2010 द्वारा निदेश दिया गया है कि मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों के लिए मानक पहचान पत्र तथा उनके आवास के बाहर प्रदर्शित करने के लिए मानक नाम पट्ट तैयार करा कर उन्हें निर्गत किये जायें। मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (बी0एल0ओ0) के लिए मानक पहचान पत्र (Standard Identity Card for BLOs) तथा मानक आवासीय नाम पट्ट (Standard Name Board for BLOs Residence) की विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं :–

i) पहचान पत्र एवं नाम पट्ट का रंग, डिजाईन तथा फॉन्ट आयोग द्वारा निर्धारित नमूना प्रतियों के हू–ब–हू सदृश होना चाहिए।

ii) बिहार राज्य में पहचान पत्र तथा नाम पट्ट पर उल्लिखित होने वाला प्रत्येक विवरण अंग्रेजी तथा हिन्दी – दोनों में, अर्थात् द्विभाषी – होना चाहिए।

iii) पहचान पत्र का आकार 2''x 4'' तथा नाम पट्ट का आकार 2' x 3' होना चाहिए।

iv) पहचान पत्र पर बी0एल0ओ0 का रंगीन छायाचित्र स्कैन कर अंकित होना चाहिए।

v) सभी बी0एल0ओ0 से अविलम्ब उनका रंगीन छायाचित्र प्राप्त किया जाये, ताकि पहचान पत्र पर छायाचित्र मुद्रित कर उन्हें पहचान पत्र निर्गत किये जा सकें। पहचान पत्र की एक सॉफ्ट प्रति कार्यालय अभिलेख (record) के रूप में भी संधारित कर ली जाये।

vi) बी0एल0ओ0 से उनका आवासीय पता (पिन कोड के साथ) तथा उनका सम्पर्क दूरभाष नम्बर (एस0टी0डी0 कोड के साथ दूरभाष संख्या या मोबाईल संख्या) प्राप्त कर लिया जाये, ताकि इन्हें बी0एल0ओ0 के नाम पट्ट पर भी अंकित किया जा सके।

vii) पहचान पत्र प्लास्टिक लेमिनेटेड होना चाहिए तथा नाम पट्ट मौसमरोधी धात्विक सामग्री (Weather-proof metallic material) का बना होना चाहिए।

viii) दोनों अभिलेखों के निर्माण में अच्छे किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए।

ix) बी0एल0ओ0 के आवास के बाहर नाम पट्ट प्रदर्शित करने तथा बी0एल0ओ0 को पहचान पत्र वितरित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

x) इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

xi) जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर अनुश्रवण दल गठित किये जाने चाहिये जो इस कार्य की प्रगति का लगातार अनुश्रवण कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराते रहें।

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (बी0एल0ओ0) के लिए मानक पहचान पत्र (Standard Identity Card for BLOs) तथा मानक आवासीय नाम पट्ट (Standard Name Board for BLO's Residence) का नमूना निम्नवत् है :–

आकार – 2''x 4''

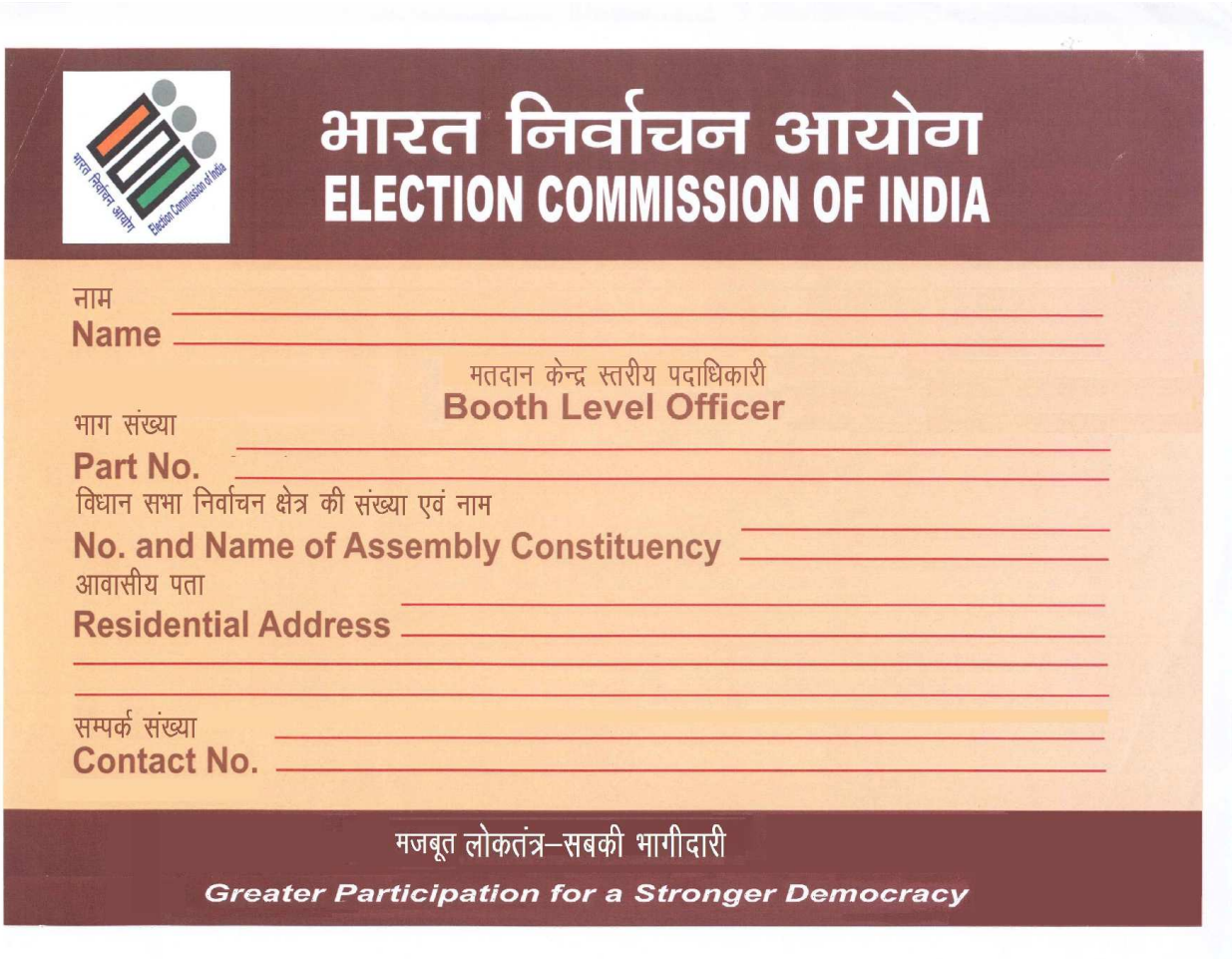

आकार – 2′ x 3′

अध्याय–II

सुसंगत संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

भारत के संविधान के प्रावधान (अनुलग्नक 1.1)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अन्तर्गत संसद तथा सभी राज्यों के विधान–मंडल के निर्वाचनों हेतु निर्वाचक सूची की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक सामान्य निर्वाचक सूची होनी है एवं किसी भी व्यक्ति को धर्म, वर्ण, जाति या लिंग (religion, race, caste or sex) के आधार पर ऐसी किसी भी सूची में सम्मिलित करने हेतु अयोग्य नहीं ठहराया जाना है।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है एवं जो निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है तथा जो संविधान या उपयुक्त विधान–मंडल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निरर्हित नहीं किया गया है, ऐसे किसी भी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं उसके अन्तर्गत गठित नियम

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 **(परिशिष्ट 1.1)** के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (लो.प्र.अ.), 1950 विनियमित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम (नि.र.नि.), 1960 का गठन किया गया है।

4.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा **13क** (13A) से **13गग** (13CC) में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO)/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) इत्यादि की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिये गये हैं **(परिशिष्ट 1.2)।**

4.2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा **13घ** (13D) से **25क** (25A) में निर्वाचक सूची की तैयारी एवं पुनरीक्षण तथा रजिस्ट्रीकरण की शर्त्तें निहित हैं **(परिशिष्ट 1.2)।**

4.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा **20क** (20A) द्वारा अप्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं **(परिशिष्ट 1.3)।**

4.4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 में निर्वाचक सूची की तैयारी इत्यादि के संबंध में किये जाने वाले सरकारी कर्त्तव्य में चूक हेतु दण्ड दिये जाने का प्रावधान किया गया है **(परिशिष्ट 1.2)।**

4.5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 4 से 22 में निर्वाचक सूची की तैयारी/पुनरीक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों एवं दशाओं के संबंध में प्रावधान किये गये हैं **(परिशिष्ट 1.4)।**

4.6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम **8क** (8A) द्वारा अप्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है **(परिशिष्ट 1.5)।**

5. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत समय–समय पर अनेक निर्देश निर्गत किये गये हैं। साथ ही, आयोग द्वारा कार्यकारी दिशा–निर्देश एवं स्पष्टीकरण भी जारी किये गये हैं **(परिशिष्ट 1.6 से 1.13)।**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 11A में दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरणों से उद्‌भूत निरर्हता (disqualification) वर्णित है **(परिशिष्ट 2)।**

अध्याय– III

निर्वाचन व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र

निम्न सारणी में भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के प्रशासनिक तंत्र का वरिष्ठता सोपान (hierarchial pyramid) प्रदर्शित किया गया है :–

प्रशासनिक तंत्र	वैधानिक प्रावधान
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)	भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन व्यवस्था के उच्चतम स्तर पर अवस्थित है। संविधान के अनुच्छेद–324 द्वारा, अन्य के साथ, यह भी निर्धारित किया गया है कि संसद तथा सभी राज्यों के विधान–मंडल के निर्वाचनों हेतु निर्वाचक सूची की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/केन्द्र शाषित प्रदेश में एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। वे राज्य सरकार के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के पदाधिकारी होंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13AA में प्रत्येक जिला के लिए एक जिला निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार के पदाधिकारी होंगे। साधारणतया जिला समाहर्त्ता/जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त को उनके जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने जिला अथवा क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्र हेतु सभी संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय व पर्यवेक्षण किया जाना है।
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B के अनुसार राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने व पुनरीक्षित करने का कार्य निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया जाना है जो साधारणतया तहसीलदार या समकक्ष स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी होते हैं।

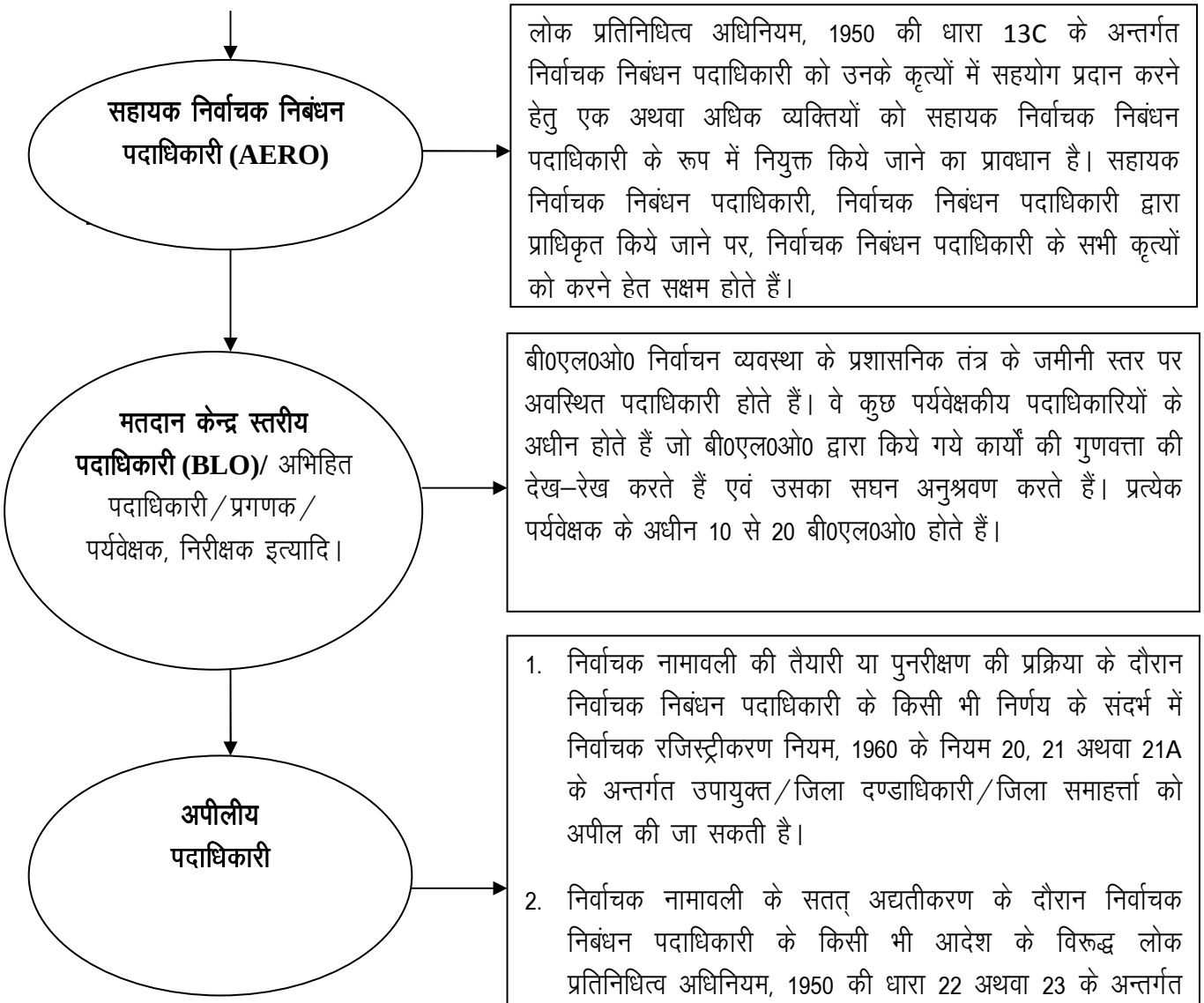
सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13C के अन्तर्गत निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उनके कृत्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु एक अथवा अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के सभी कृत्यों को करने हेत सक्षम होते हैं।
मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO)/ अभिहित पदाधिकारी / प्रगणक / पर्यवेक्षक, निरीक्षक इत्यादि।
बी0एल0ओ0 निर्वाचन व्यवस्था के प्रशासनिक तंत्र के जमीनी स्तर पर अवस्थित पदाधिकारी होते हैं। वे कुछ पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के अधीन होते हैं जो बी0एल0ओ0 द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता की देख–रेख करते हैं एवं उसका सघन अनुश्रवण करते हैं। प्रत्येक पर्यवेक्षक के अधीन 10 से 20 बी0एल0ओ0 होते हैं।
अपीलीय पदाधिकारी
1. निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के किसी भी निर्णय के संदर्भ में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 20, 21 अथवा 21A के अन्तर्गत उपायुक्त / जिला दण्डाधिकारी / जिला समाहर्त्ता को अपील की जा सकती है।
2. निर्वाचक नामावली के सतत् अद्यतीकरण के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के किसी भी आदेश के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 अथवा 23 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी / कार्यपालक दण्डाधिकारी / जिला समाहर्त्ता के समक्ष अपील की जा सकती है तथा अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अग्रतर अपील की जा सकती है।

- **<u>अभिहित पदाधिकारी</u>**

उपर्युक्त वैधानिक (statutory) नियुक्तियों के अतिरिक्त निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 14 के अन्तर्गत आवश्यक संख्या में अभिहित पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती है। ये सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन होते हैं। अभिहित पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली के भागों का प्रदर्शन तथा दावों एवं आपतियों की प्राप्ति का कार्य किया जाता है। उनके द्वारा निर्वाचकों की मांग पर उनके बीच प्ररूप 6, 7, 8 एवं 8क का वितरण भी किया जाता है।

- **<u>निर्वाचक सूची प्रेक्षक</u>**

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ वरीय पदाधिकारियों को निर्वाचक सूची प्रेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। इन प्रेक्षकों द्वारा यादृच्छ (random) तौर पर निर्वाचक नामावलियों की जाँच की जा सकेगी तथा सीधे आयोग को प्रतिवेदित किया जा सकेगा।

उपर्युक्त सभी पदाधिकारी ऊपर उल्लिखित अधिकारिताओं के अन्तर्गत कार्य करते समय, संबंधित अवधि हेतु, भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे एवं उस अवधि के दौरान वे भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन होंगे (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13गग परिशिष्ट 1.2)।

अध्याय– IV

निर्वाचक पंजीकरण के सामान्य सिद्धान्त

निर्वाचक के रूप में किसे पंजीकृत किया जा सकता है

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार, कतिपय प्रतिबंधों के अधीन, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किये जाने का हकदार होगा जो :–

   क) अर्हता तिथि (qualifying date) को 18 वर्षों से कम आयु का नहीं है, और

   ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवासी है।

निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु निरर्हता

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचक सूची में पंजीकृत होने से निरर्हित किया जा सकेगा यदि वह :–

   क) भारत का नागरिक नहीं है अथवा

   ख) विकृतचित्त है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा यथा घोषित है अथवा

   ग) सम्प्रति, भ्रष्ट आचरणों एवं निर्वाचनों से संबद्ध अन्य अपराधों से संबंधित किसी नियम/ प्रावधानों के अन्तर्गत मतदान करने हेतु अयोग्य ठहराया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **11क** – **परिशिष्ट 2**)

2. ऐसे किसी भी व्यक्ति, जो पंजीकरण के पश्चात इस प्रकार निरर्हित घोषित किया गया हो, का नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल हटा दिया जायेगा जिसमें वह शामिल है।

3. कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा और न ही कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का हकदार होगा, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 एवं 18 में प्रावधानित है।

'सामान्य निवासी/मामूली तौर से निवासी' से तात्पर्य (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20)

कोई व्यक्ति किसी स्थान का सामान्यतया निवासी/मामूली तौर से निवासी कहा जायेगा यदि वह उस स्थान का प्रयोग साधारणतः सोने के लिये करता है, भले ही वह उस स्थान पर भोजन न कर बाहर कहीं करता हो। अपने सामान्य निवास के स्थान से अस्थायी अवधियों के लिये व्यक्ति की अनुपस्थिति को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसके निवास का समय किसी निश्चित समयावधि तक लगातार तथा अनवरत हो। कर्तव्य अथवा बेरोजगारी अथवा घूमने–फिरने इत्यादि कारणों से अस्थायी अनुपस्थिति को सामान्य निवास की अवधारणा में बाधक नहीं माना जायेगा।

सामान्य निवास के आम सिद्धांतों के अपवाद :

1. **सांसद एवं राज्य विधान–मंडलों के सदस्य** अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण किये जाने के हकदार हैं, भले ही वे ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपने वास्तविक निवास स्थानों से दूर हों (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (1ख) – **परिशिष्ट 1.2**)।

2. **जेल, अन्य वैधानिक अभिरक्षा, चिकित्सालय, भिक्षु गृह, मानसिक चिकित्सालय इत्यादि शरणस्थलों में रह रहे व्यक्तियों** को उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाना है जहाँ यह संस्थाएं स्थित हैं (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (2) – **परिशिष्ट 1.2**)।

3. **छात्रावास या मेस या लॉज में अधिकांशतः लगातार रहने वाले छात्र**, यदि वे अन्यथा योग्य हों एवं अपने सामान्य घर अथवा गृह–स्थान थोड़ी अवधियों के लिए ही जाते हों, उस स्थान के सामान्य निवासी माने जा सकते हैं जहाँ वह छात्रावास या मेस या लॉज अवस्थित है। यद्यपि, वे चाहें तो विकल्प के तौर पर अपना नाम अपने माता पिता के साथ अपने गृह–स्थान की निर्वाचक नामावली में निबंधित करा सकते हैं।

4. **सेवा मतदाता :** सामान्यतः, संघीय सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0, एन0एस0जी0, आर0पी0एफ0 तथा असम राइफल्स के सेवारत सदस्य, राज्य के बाहर तैनात राज्य सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य एवं भारत से बाहर पदस्थापित सरकारी सेवक अपने गृह–स्थानों, जो उनके सामान्य निवासों से भिन्न हो सकते हैं, पर पंजीकृत होने के हकदार हैं। यदि किन्हीं सेवा मतदाता की पत्नी सामान्यतः अपने पति के साथ रहती हों, तो वे भी अपने पति के साथ ही गृह–स्थान की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने की हकदार हैं (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (3) – **परिशिष्ट 1.2**)।

5. **अप्रवासी निर्वाचक :** ऐसे भारतीय नागरिक, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जो भारत के बाहर रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास के स्थान से अनुपस्थित हैं, अपने पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में अपने सामान्य निवास के स्थान के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 **क** – **परिशिष्ट 1.3**)।

6. **अधिघोषित पदधारक (Persons holding declared office) :** संघ के अधिघोषित पदों के धारक जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय एवं राज्य मंत्री तथा संघ के उप–मंत्री, उपाध्यक्ष तथा योजना आयोग के सदस्य, लोक सभा के स्पीकर एवं उपस्पीकर, राज्य सभा के उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय संसदीय सचिव तथा राज्य के अधिघोषित पदधारक यथा राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री, राज्य विधान परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान सभा के स्पीकर एवं उपस्पीकर, राज्य के संसदीय सचिव एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं।

तथापि अधिघोषित पद के धारक द्वारा अपने नाम एवं गृह निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में दिया गया बयान अंतिम नहीं होगा एवं ऐसे व्यक्ति, जिनके पास इससे इतर कोई साक्ष्य हो, उनका अधिघोषित पदधारक द्वारा घोषित गृह निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के बिन्दु पर आपत्ति करने का विकल्प खुला रहेगा (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (4) – **परिशिष्ट 1.2**)।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी मामलों का निस्तार समरूपता से कर पाना संभव नहीं है और न ही "सामान्यतया निवास" को परिभाषित करने हेतु एक सा नियम बनाया जा सकता है। **साधारणतः कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का नामांकन ऐसे पते पर नहीं किया जाना चाहिये जहाँ वे अस्थायी रूप से रह रहे हों; वहीं दूसरी ओर उनका नामांकन उनके साधारणतया निवास के स्थान पर होना है, भले ही वे अस्थायी रूप से वहाँ से अनुपस्थित हों।**

अध्याय – v
निर्वाचक सूची क्या है

1. नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक सूची होगी। निर्वाचक सूचियां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार संधारित की जाती हैं।

2. लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अलग से कोई निर्वाचक सूची नहीं होती है। किसी एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियों को मिलाकर उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची तैयार होती है। जम्मू एवं कश्मीर तथा ऐसे केन्द्र शासित प्रदेश, जहाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं हैं, इसके अपवाद हैं। जम्मू और कश्मीर में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अलग–अलग निर्वाचक सूचियां तैयार की जाती हैं। उन केन्द्र शासित प्रदेशों में भी, जहाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं हैं, निर्वाचक सूचियों का संधारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र वार किया जाता है।

3. जम्मू एवं कश्मीर के लिये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियां जम्मू एवं कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों (Jammu & Kashmir Representation of the People Act, 1957 and the Rules made there under.) के अनुसार तैयार की जाती हैं। मात्र राज्य–विषय, जैसा जम्मू और कश्मीर के संविधान में परिभाषित हैं, इसमें शामिल किये जा सकते हैं।

4. निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के नियम 5 के उपनियम (1) के अनुसार निर्वाचक सूचियां भौगोलिक रूप से निर्धारित ''भागों'' (Parts) के अनुसार तैयार की जाती हैं तथा प्रत्येक भाग भौगोलिक रूप से पहचानने योग्य ''प्रभागों'' (Sections) में गठित किया जाता है। प्रत्येक भाग के लिये एक चिन्हित मतदान केन्द्र परिसर होता है जहाँ मतदान के दिन उस भाग के निर्वाचकों द्वारा मतदान करने की व्यवस्था की जाती है।

5. निर्वाचक सूची उस वर्ष की पहली जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार या पुनरीक्षित की जाती है जिस वर्ष के लिये वह बनायी या पुनरीक्षित की जा रही है।

6. यदि किसी कारणवश किसी वर्ष निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण नहीं होता है तो गत वर्ष की निर्वाचक सूची ही प्रभावी रहेगी।

7. इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग किसी भी समय, अभिलिखित कारणों से, किसी निर्वाचन क्षेत्र अथवा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भाग का इस प्रकार विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

निर्वाचक सूची की रूपरेखा एवं ढांचा

1. निर्वाचक सूची के निर्माण / पुनरीक्षण का वर्ष, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, नाम, आरक्षण स्थिति, निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तथा भागों की कुल संख्या जिनमें वह निर्वाचक सूची विभक्त है, दर्शाते हुये प्रत्येक **विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची का एक शीर्षक पृष्ठ (Title Page of Electoral Roll of Assembly Constituency)** होगा, जिसके तुरत बाद प्रत्येक भाग द्वारा आच्छादित क्षेत्र की क्रमानुसार सूची होगी। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के शीर्षक पृष्ठ का नमूना **परिशिष्ट 3.1.** पर

द्रष्टव्य है। शीर्षक पृष्ठ के पीछे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नक्शा होगा। निर्वाचक सूची के अंत में सारांश पृष्ठ होगा (**परिशिष्ट 3.2.**)।

2. इसी प्रकार भाग (Part) की निर्वाचक सूची के बारे में सूचनायें देते हुये प्रत्येक भाग का भी एक **शीर्ष पृष्ठ** (**Title Page of Part of the Roll**) होता है। भाग शीर्ष पृष्ठ का नमूना **परिशिष्ट 3.3** पर दिया गया है। इस शीर्ष पृष्ठ के पश्चात् संबंधित भाग द्वारा आच्छादित मतदान केन्द्र क्षेत्र का नजरी नक्शा (Sketch Map) होता है। नजरी नक्शा (Sketch map) आवासीय क्षेत्रों, प्रभागों, सड़कों, प्रमुख भवनों जैसे मतदान केन्द्र, डाकघर, स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि को दर्शाता है। तत्पश्चात् विहित प्ररूप में निर्वाचकों का विवरण संधारित होता है। प्रत्येक भाग की निर्वाचक सूची के अंत में एक सारांश पृष्ठ होगा (**परिशिष्ट 3.4**)।

3. भाग भौगोलिक रूप से पहचाने जाने योग्य अलग–अलग ''प्रभागों'' में विभक्त होंगे।

   इन ''प्रभागों'' के अंतर्गत गृह संख्या वार निर्वाचकों का विवरण प्रविष्ट होगा। सामान्यतया एक भवन अलग–अलग ''प्रभागों'' में बिखरा हुआ नहीं होना चाहिये। प्रत्येक प्रभाग की सूची नये पृष्ठ पर प्रारंभ होनी चाहिये।

4. टेक्स्ट रौल (Text Roll) में निर्वाचकों का विवरण 8 स्तंभों वाले प्ररूप में विन्यस्त होता है तथा निर्वाचक का छायाचित्र अलग से संधारित होता है। फोटो निर्वाचक सूची के निर्वाचकों की विवरणी का नमूना **परिशिष्ट 3.5** पर तथा टेक्स्ट रौल (Text Roll) का नमूना **परिशिष्ट 3.6** पर दिया गया है।

5. सामान्यतया शहरी क्षेत्र के एक भाग (Part) में निर्वाचकों की संख्या 1200 तथा ग्रामीण क्षेत्र के एक भाग (Part) में 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिये।

6. निर्वाचक सूची के अंतिम भाग में सेवा मतदाताओं की सूची संधारित होगी।

निर्वाचक सूची की भाषा

निर्वाचक सूची की भाषा निर्वाचक निबंधन नियमावली के नियम 4 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा निदेशित होगी। वर्तमान नीति के अनुसार किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची सामान्यतया संबंधित राज्य की राजकीय भाषा में होगी। परंतु जहाँ 20 प्रतिशत निर्वाचक अन्य भाषा का व्यवहार करते हों तथा उस अल्पसंख्यक भाषा एवं लिपि में साक्षरों की संख्या काफी अधिक हो, तब निर्वाचक सूची बहुसंख्यक के साथ–साथ उस अल्पसंख्यक भाषा में भी मुद्रित एवं प्रकाशित होगी। इसके अतिरिक्त महानगरों में यह अंग्रेजी में भी हो सकती है। निर्वाचक सूची का अंतिम भाग, जो सेवा मतदाताओं के लिये होता है, भी अंग्रजी में मुदित होता है।

मतदान केन्द्र

1 प्रत्येक भाग एक सुनिश्चित और सुगठित भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करेगा। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक मतदान केन्द्र (परिसर) होगा जहाँ उस भाग के निर्वाचक मतदान के समय मतदान करेंगे।

2 मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम (और पता) उस भाग से संबंधित निर्वाचक सूची के शीर्ष पृष्ठ पर दर्शाया जायेगा। निर्वाचक सूची की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या बिना किसी अपवाद के एक समान होगी।

3 आयोग की परिकल्पना के अनुसार मतदान केन्द्र की दूरी मतदाताओं के आवास से सामान्यतः 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

4 सामान्यतया एक शहरी मतदान केन्द्र में 1200 से अधिक निर्वाचक तथा एक ग्रामीण मतदान केन्द्र में 1000 से अधिक निर्वाचक नहीं होने चाहिये।

अध्याय – VI
निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण

<u>पुनरीक्षण के प्रकार</u>

1. पुनरीक्षण के चार प्रकार हैं :– (i) गहन, (ii) संक्षिप्त, (iii) अंशतः गहन एवं अंशतः संक्षिप्त, (iv) विशेष

2. **गहन पुनरीक्षण** में सम्पूर्ण निर्वाचक सूची, बिना पूर्व की निर्वाचक सूची का निदेश किये हुये, नये सिरे से तैयार की जाती है। जिस वर्ष गहन पुनरीक्षण का आदेश होता है, उस वर्ष कोई संक्षिप्त पुनरीक्षण नहीं होता। गहन पुनरीक्षण के दौरान अपने प्रथम भ्रमण में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी.एल.ओ.) प्रत्येक गृह को एक नई संख्या आवंटित करते हैं, यदि उसे कोई संख्या पहले से आवंटित न हो। अपने दूसरे भ्रमण में वे उस गृह के सभी योग्य सदस्यों के विवरण एक निर्वाचन कार्ड (Electoral Card) पर अंकित करते हैं। निर्वाचन कार्ड की एक प्रति संबंधित गृह स्वामी को दी जाती है या उसकी अनुपस्थिति में परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दी जाती है। कम उम्र के व्यक्तियों, अनाथों तथा छात्रावासों/लॉजों में निवास करने वाले विद्यार्थियों का विवरण लिखने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिये। इस प्रकार की परिगणना के आधार पर प्रारूप निर्वाचक सूची तैयार कर दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करते हुये प्रकाशित की जाती है। दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाता है।

3. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूचियों का **संक्षिप्त पुनरीक्षण** सामान्यतया उन वर्षों को छोड़कर, जिनमें गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है। संक्षिप्त पुनरीक्षण में घर–घर जाकर परिगणन नहीं होता। तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक सूची को ही, दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करते हुये, प्रारूप निर्वाचक सूची के रूप में प्रकाशित किया जाता है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत निर्वाचक सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाती है।

4. **अंशतः गहन तथा अंशतः संक्षिप्त पुनरीक्षण** के दौरान तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक सूची को ही प्रारूप निर्वाचक सूची के रूप में प्रकाशित किया जाता है। साथ ही साथ गृहों के सत्यापन के लिये मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (बी.एल.ओ.) को भेजा जाता है। दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन सूचियां तैयार की जाती हैं, जो मुख्य सूची के साथ मिलकर निर्वाचक सूची कहलाती हैं।

5. निर्वाचक सूची की किसी त्रुटि के कारण, यथा कोई स्थान अथवा प्रखण्ड या निर्वाचकों का कोई प्रभाग निर्वाचक सूची द्वारा आच्छादित नहीं किया जा सका हो, अथवा अन्य किसी कारण से, आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग की निर्वाचक सूची का **विशेष पुनरीक्षण** आदेशित कर सकता है। यह गहन, संक्षिप्त या अंशतः गहन और अंशतः संक्षिप्त पुनरीक्षण हो सकता है।

6. इसके अतिरिक्त जब किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण नहीं हो रहा हो तब निर्वाचक सूची के **सतत् अद्यतीकरण (Continuous Updation)** का प्रावधान है। अंतिम रूप से प्रकाशित पिछली निर्वाचक सूची की अर्हता तिथि ही सतत् अद्यतीकरण के लिये भी लागू होती है।

निर्वाचक सूची की तैयारी

निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशनः

निर्वाचक निबंधन नियमावली 1960 के नियम 10 के अंतर्गत जैसे ही किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची तैयार हो जाती है, सम्बंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रपत्र 5 में नोटिस के साथ निरीक्षण एवं प्रदर्शन हेतु निम्न प्रकार से प्रकाशित कर दिया जाता हैः

क– निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में, यदि वह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित हो ;

ख– यदि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का कार्यालय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अवस्थित हो तब सम्बंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्रपत्र में नोटिस के साथ निर्वाचक सूची की प्रति उस स्थान पर अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाती है, जो इस उद्देश्य के लिये उसके द्वारा निर्धारित किया गया हो।

7. इसके अतिरिक्त निर्वाचक सूची की पीडीएफ प्रति उसी दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट पर भी (और जहां लागू हो, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट पर भी) प्रकाशित की जाती है। वेबसाईट पर निर्वाचक सूची की प्रारूप प्रति निर्वाचक के विवरण के साथ, किन्तु बिना छायाचित्र के, प्रकाशित की जायेगी। परंतु उसमें यह उल्लिखित रहेगा कि निर्वाचक विशेष का छायाचित्र उपलब्ध है अथवा नहीं।

8. वेबसाईट से यह सत्यापित किया जा सकता है कि प्ररूप 6 अथवा 6क में प्राप्त किसी दावे से संबंधित व्यक्ति उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कहीं अन्यत्र निर्वाचक सूची में निबंधित है अथवा नहीं। वेबसाईट की मदद से एक निर्वाचक यह जाँच सकता है कि वह निर्वाचक के रूप में कहीं निबंधित है अथवा नहीं तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के विवरण क्या हैं।

9. किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी भागों की सूची का प्रकाशन सेवा मतदाताओं से संबंधित अंतिम भाग की सूची को सम्मिलित करते हुये एक साथ किया जाना चाहिये। सूची के इस अंतिम भाग का प्रकाशन किसी मतदान केन्द्र पर नहीं होता है, बल्कि उसे प्रकाशन के पश्चात् निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में या उनके द्वारा चिन्हित किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शित करने के लिये रख लिया जाता है।

10. प्रारूप निर्वाचक सूची मतदान केन्द्रों पर इसलिये प्रकाशित की जायेगी ताकि आम निर्वाचक आसानी से उस स्थान की पहचान कर सकें जहाँ वे निर्वाचक सूची का अवलोकन कर सकते हैं तथा दावे और आपत्तियां दायर कर सकते हैं।

11. किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन नहीं होता है।

12. वैसे मामलों में, जहाँ सूची एक से अधिक भाषाओं में तैयार की जाती है, सभी भाषाओं में उनकी प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं।

पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान दावे और आपत्तियां

1. जैसा कि पूर्व में कहा गया है, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्ररूप 5 में सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम अधिसूचित करेगा। इस सूचना में सूची में नाम शामिल करने, विलोपित करने, संशोधित करने तथा स्थान परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने हेतु निर्धारित अवधि के साथ–साथ पुनरीक्षण प्रक्रिया के सभी चरणों का उल्लेख होगा। निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के नियम 12 के अंतर्गत नियमानुसार दावे एवं आपत्तियां समर्पित करने के लिये न्यूनतम 15 दिनों तथा अधिकतम 30 दिनों की अवधि का प्रावधान होता है। इस नियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के संदर्भ में सरकारी गजट अधिसूचना द्वारा इस अवधि को बढ़ाने की शक्ति आयोग में निहित है।

2. निर्वाचक सूची के प्रकाशन के उपरांत दावों एवं आपत्तियों के माध्यम से सूची में नामों को जोड़ा या विलोपित किया जा सकता है तथा निर्वाचक से संबंधित किसी प्रविष्टि को शुद्ध किया जा सकता है। ये दावे/आपत्तियां तथा शुद्धिकरण हेतु आवेदन निम्नलिखित समय को छोड़कर किसी भी समय दायर किये जा सकते है :–

   (i) निर्वाचन की घोषणा होने पर नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक निर्वाचक सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है;

   (ii) जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम का अग्रिम रूप से निर्धारण किया जाता है, तब दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिये एक अवधि निर्धारित की जाती है। इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत सिर्फ निर्धारित अवधि में ही दावे एवं अपत्तियां दायर की जा सकती हैं।

3. पुनरीक्षण अवधि में प्ररूप 6 तथा 6क में दावे, प्ररूप 7 में अपत्तियां, प्ररूप 8 में शुद्धिकरण हेतु आवेदन तथा प्ररूप 8 क में आवास परिवर्तन हेतु दिये गये आवेदनों की जाँच निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के नियम 20 के अन्तर्गत निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा की जाती है। इसी नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अनवधानतावश प्रारूप सूची में छूट गये (पाण्डुलिपि से अथवा स्वीकृत मामले इत्यादि) नामों को स्वप्रेरणा से (Suo-Moto) जोड़ सकता है और नियम 21 ए के अन्तर्गत निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्वप्रेरणा से (Suo-Moto) अनवधानता वश अथवा गलती से सूची में शामिल कर लिये गये नामों को विलोपित कर सकता है।

दावों, आपत्तियों तथा शुद्धिकरण हेतु आवेदन का प्ररूप :

1. प्रत्येक दावा प्ररूप 6 अथवा 6क (**परिशिष्ट 4.1 और 4.2**) में किया जायेगा तथा उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो निर्वाचक सूची में निर्वाचक के रूप में अपने नाम की प्रविष्टि का इच्छुक है। फोटो निर्वाचक सूची के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को, जो छायाचित्र के साथ अपने नाम की प्रविष्टि चाहता है, प्ररूप 6/6क के साथ दो प्रतियों में अपना छायाचित्र समर्पित करना होगा।

2. **उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अपना निवास स्थान अन्यत्र स्थानान्तरित करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचक सूची में उनसे संबंधित प्रविष्टियों को अन्यत्र ले जाने के लिये प्ररूप 8क में आवेदन देने का मार्गदर्शन दिया जाना चाहिये न कि प्ररूप 6 में, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है।**

3. प्रारूप सूची में शामिल किसी नाम के विरूद्ध आपत्ति प्ररूप 7 (**परिशिष्ट 4.3**) में सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिसका नाम पहले से उस निर्वाचक सूची में शामिल हो जिसमें आक्षेपित व्यक्ति का नाम शामिल है।

4. प्रारूप निर्वाचक सूची में अंकित किसी प्रविष्टि विशेष अथवा प्रविष्टियों के शुद्धिकरण हेतु दिया गया प्रत्येक आवेदन प्ररूप 8 में होगा (**परिशिष्ट 4.4**) और उसी व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा, प्रविष्टि जिससे सम्बंधित है। निर्वाचक सूची में छायाचित्रों का समावेश, उन्हें हटाना या छायाचित्र को बदलना भी प्रविष्टियों के शुद्धिकरण में शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिये सही छायाचित्र प्ररूप 8 में चिपकाकर दिया जाना चाहिये। वैसे निर्वाचक, जो अपने छायाचित्र का शुद्धिकरण चाहते हैं अथवा उसे बदलना या छायाचित्र देना चाहते हैं, उन्हें प्ररूप 8 (शुद्धिकरण हेतु) के साथ दो छायाचित्र समर्पित करने चाहिये।

5. यदि कोई व्यक्ति अपना अथवा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक भाग से दूसरे भाग की निर्वाचक सूची में स्थानान्तरित कराना चाहता है तो उसे प्ररूप 8क (**परिशिष्ट 4.5**) में आवेदन देना चाहिये।

6. पदस्थापन के स्थान पर सेवा मतदाताओं द्वारा सामान्य निर्वाचक के रूप में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिये प्ररूप 6 के साथ समर्पित किये जाने वाले अधिघोषणा प्रारूप (**परिशिष्ट 4.11**) की रिक्त प्रतियां छावनी क्षेत्र के निर्धारित स्थानों पर रखी जायेंगी।

दावों एवं आपत्तियों की प्राप्ति

1. निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावे एवं आपत्तियां प्राधिकृत पदाधिकारी को विहित अवधि के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिये। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त ऐसा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। पुनरीक्षण अवधि के समाप्त हो जाने पर अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक सूची की अर्हता तिथि के आधार पर किसी भी समय सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. **संक्षिप्त पुनरीक्षण अथवा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान थोक में (In Bulk) आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे**।

3. बी.एल.ओ. द्वारा अलग–अलग आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिये, हालांकि जब ये आवेदन एक ही कुटुम्ब अर्थात एक ही परिवार के हों तथा एक साथ प्रस्तुत किये जायें तो उन्हें भी प्राप्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति/संस्था या राजनैतिक दल द्वारा थोक में दिये गये आवेदनों को अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाना चाहिये। यही सिद्धांत दावों एवं आपत्तियों के संबंध में डाक से भेजे गये आवेदनों के लिये भी मान्य होगा।

4. **बी.एल.ओ. द्वारा प्राप्त किये गये प्ररूप उस क्षेत्र के अभिहित पदाधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित (प्ररूप 9, 10, 11 तथा 11क में) किये जायेंगे।**

समर्पण के समय प्ररूपों की प्राथमिक जाँच

1. दावे एवं आपत्तियों से संबंधित प्रत्येक आवेदन के लिये प्राप्ति रसीद दी जानी चाहिये। ऐसी प्राप्ति रसीद देने के पूर्व प्रत्येक प्ररूप की प्राथमिक जाँच अवश्य की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि :–

   (i) प्राप्त प्ररूप, थोक में समर्पित आवेदनों का हिस्सा नहीं है।

   (ii) कोई भी अहस्ताक्षरित प्ररूप प्राप्त नहीं करना चाहिये। यह आवेदक द्वारा, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिये या प्ररूप पर आवेदक के अगूंठे का निशान प्राप्त किया जाना चाहिये। प्ररूप 6, 6क, 7, 8 एवं 8क यह स्वतःस्पष्ट करते हैं कि दावे एवं आपत्तियों के आवेदन में विहित स्थान पर दावा या आपत्ति करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अगूंठे का निशान अवश्य हो। जहाँ दावाकर्त्ता साक्षर है, उसे अपने नाम का हस्ताक्षर करना चाहिये न कि किसी के द्वारा लिखे गये उसके नाम के समक्ष कोई चिन्ह मात्र लगाना चाहिये। जहाँ दावाकर्त्ता निरक्षर है, उसे प्ररूप पर अपने अगूंठे का निशान लगाना चाहिये न कि कोई अन्य चिन्ह। निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन स्वयं समर्पित करने की यही विहित रीति है। दावे एवं आपत्तियों से संबंधित ऐसे आवेदनों को, जो सही तरीके से हस्ताक्षरित नहीं हों अथवा बिना अगूंठे के निशान वाले हों, बी.एल.ओ. द्वारा प्राप्त करने से इनकार कर दिया जाना चाहिये।

   (iii) प्ररूप का कोई भी स्तंभ अथवा मांगी गयी सूचना रिक्त नहीं रहनी चाहिये। जहाँ मांगी जा रही सूचना मालूम न हो वहाँ ''मालूम नहीं'' अंकित किया जाना चाहिये।

   (iv) कोई भी अपूर्ण आवेदन (जिसमें पूर्व का पता अंकित न हो) प्राप्त नहीं किया जाना चाहिये।

जन्म तिथि तथा आवास के साक्ष्य के रूप में मान्य अभिलेखों की सूची

1. जन्म तिथि

   (i) नगर निकाय प्राधिकारियों अथवा जिला निबंधक, जन्म एवं मृत्यु के कार्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र अथवा बपतिस्मा प्रमाण पत्र ; या

   (ii) जन्म प्रमाण पत्र जो उस मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अथवा स्कूल (सरकारी/मान्यता प्राप्त) से निर्गत किया गया हो जहाँ आवेदक ने सबसे अंत में शिक्षा ग्रहण की हो ; या

   (iii) दसवीं उत्तीर्ण व्यक्ति द्वारा वर्ग दस का अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में दिया जाना चाहिये ; या

   (iv) किसी वर्ग का अंक पत्र या प्रमाण पत्र ; या

   (v) वर्ग 8 का अंक पत्र, यदि उसमें जन्म तिथि अंकित हो ; या

   (vi) वर्ग 5 का अंक पत्र, यदि उसमें जन्म तिथि अंकित हो ; या

   (vii) यदि संबंधित व्यक्ति वर्ग दस तक शिक्षित नहीं है तो उसके माता या पिता द्वारा **परिशिष्ट 4.10** में दिये गये विहित प्ररूप में की गयी घोषणा ; या

   (viii) यदि संबंधित व्यक्ति शिक्षित नहीं है तथा उसके माता एवं पिता दोनों जीवित नहीं हैं तब संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा संबंधित नगर निगम/नगर परिषद के किसी सदस्य द्वारा उस व्यक्ति की उम्र के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र।

2. सामान्यतया निवास का स्थान

(i) बैंक/किसान/डाकघर की अद्यतन पासबुक, या

(ii) आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/आयकर मूल्यांकन आदेश, या

(iii) जल/दूरभाष/विद्युत/गैस कनेक्शन का अद्यतन बिल जो आवेदक या उसके करीबी रिश्तेदार जैसे माता–पिता इत्यादि के पते पर निर्गत हो, या

(iv) डाक विभाग के किसी डाक की प्राप्ति / दिये गये पते पर आवेदक के नाम से पहुंचायी गयी कोई डाक।

प्राप्त प्ररूपों का संधारण :

प्रत्येक बी.एल.ओ. द्वारा दावों से संबंधित सूची प्ररूप 9 (**परिशिष्ट 4.6**) में, प्रविष्ट नामों के विरूद्ध या जोड़े गये नामों के विरूद्ध दी गई आपत्तियों से संबंधित सूची प्ररूप 10 (**परिशिष्ट 4.7**) में, प्रविष्टियों के संबंध में दी गई आपत्तियों की सूची प्ररूप 11 (**परिशिष्ट 4.8**) में तथा प्रविष्टियों के स्थानान्तरण से संबंधित आवेदनों की सूची प्ररूप 11क (**परिशिष्ट 4.9**) में दोहरी प्रतियों में तैयार की जायेगी। बी.एल.ओ. उसे प्राप्त प्ररूपों के लिये ऐसी सूचियां तैयार करेगा तथा अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा। उपर्युक्त चारों प्रकार की सूचियों की एक प्रति बी.एल.ओ. के कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगातार प्रदर्शित रहेगी। ऐसी सूचियों का संधारण निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के नियम 15 के अन्तर्गत अनिवार्य है। बी.एल.ओ. द्वारा सूचियों की दूसरी प्रति निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भेजी जायेगी।

अनुपूरकों की तैयारी

1. प्रारूप प्रकाशन के पश्चात पुनरीक्षण की अवधि में उन निर्वाचकों के लिये, जिनके नाम निर्वाचक सूची में जोड़े गये हों अथवा सूची से हटाये गये हों या एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानान्तरित किये गये हों और जिनसे संबंधित प्रविष्टियां संशोधित की गई हों, अनुपूरक सूची तैयार की जाती है। अंतिम प्रकाशन के समय अनुपूरक सूची मूल सूची के साथ जोड़ दी जाती है जो प्रारूप सूची के रूप में प्रकाशित हुई थी। निर्वाचक सूची में जोड़े गये निर्वाचकों की सूची (परिवर्धन सूची) में निर्वाचकों की क्रम संख्या मूल सूची के अंतिम क्रमांक के बाद से प्रारंभ होती है तथा यह प्रभागवार तैयार की जाती है। हटायी गयी (विलोपन सूची) अथवा संशोधित प्रविष्टियों की सूची (संशोधन सूची) प्रभागवार तैयार नहीं की जाती है तथा इन सूचियों में निर्वाचकों का क्रमांक वही होता है जो मूल सूची में उनका क्रमांक है।

2. अनुपूरक की विलोपन सूची में विलोपन के कारणों को दर्शाते हुये संकेताक्षर निर्वाचक के क्रमांक के सामने उपसर्ग के रूप में उल्लिखित कर दिये जाते हैं। इन संकेतों को स्पष्टीकरण के साथ विलोपन सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर पादटीका (Footnote) के रूप में मुद्रित किया जाता है। मूल सूची में विलोपित निर्वाचक से संबंधित खाने में सॉफ्टवेयर के माध्यम से "DELETED" शब्द अध्यारोपित किया जाता है। इससे निर्वाचकों की क्रम संख्या में तथा भाग शीर्ष पर प्रकाशित निर्वाचकों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3. पुनरीक्षण अथवा सतत् अद्यतीकरण के फलस्वरूप मूल सूची के साथ एक या अधिक अनुपूरक जुड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मूल सूची तथा अनुपूरकों के बाद निर्वाचकों के सारांश से संबंधित एक सारांश पृष्ठ संलग्न होता है। इस सारांश पृष्ठ में परिवर्धन सूची द्वारा जोड़े गये, विलोपन सूची द्वारा हटाये गये

तथा सम्पूर्ण निर्वाचक सूची में परिवर्धन एवं विलोपन के पश्चात् कुल निर्वाचकों की संख्या उल्लिखित होती है। प्रत्येक ऐसे निर्वाचक के नाम के समक्ष सॉफ्टवेयर द्वारा 'हैश' (#) मुद्रित किया जाता है जिससे संबंधित प्रविष्टियों में संशोधन किये गये हों।

सतत् अद्यतीकरण (Continuous Updation) :

1. निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन से लेकर अगले प्रारूप प्रकाशन तक जारी रहती है।

2. निर्वाचन की अवधि में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी नहीं रहती है। यद्यपि परिवर्धन, विलोपन या संशोधन के लिये आवेदन इस अवधि में भी समर्पित किये जा सकते हैं, परन्तु इन पर कोई कार्रवाई निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक नहीं होगी।

3. निर्वाचक निबंधन प्रक्रिया की प्रकृति अनिवार्यतः सतत् अद्यतीकरण की है, यद्यपि जानकारी के अभाव के कारण सामान्य जन को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अतः बी.एल.ओ. को चाहिये कि निर्वाचक सूची में सतत् अद्यतीकरण द्वारा परिवर्धन, विलोपन, संशोधन तथा प्रविष्टियों के स्थानान्तरण से संबंधित प्रावधानों को प्रचारित करें।

4. अंतिम रूप से प्रकाशित सूची में सतत् अद्यतीकरण की अवधि में (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950/ निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960) नाम जोड़ने, विलोपन तथा संशोधन के लिये प्राप्त आवेदनों की विवरणी के संधारण हेतु पंजियों का संधारण किया जाना चाहिये।

5. सतत् अद्यतीकरण से संबंधित अनुपूरक सूची किसी वर्ष विशेष के लिये प्रकाशित होने वाली प्रारूप सूची के अंतिम अनुपूरक के नीचे प्रारूप सूची के खंड के रूप में मुद्रित की जायेगी। निर्वाचक सूची की पुनरीक्षण अवधि में इन्हें प्रारूप सूची के अंतिम अनुपूरक के रूप में अनुपूरक का प्रकार तथा तिथि अंकित करते हुये शामिल किया जायेगा। सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया से तैयार की गई परिवर्धन, विलोपन, संशोधन या प्रविष्टियों के स्थानान्तरण से संबंधित अनुपूरक सूची निर्वाचन के समय प्रकाशित की जाती है। सतत् अद्यतीकरण के कारण किसी परिवर्धन/विलोपन सूची को निर्धारित अंतराल पर प्रकाशित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. निबंधन हेतु प्राप्त किसी आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् इसकी प्रविष्टि अंतिम रूप से प्रकाशित सूची/अनुपूरक सूची के अंतिम क्रमांक के बाद होगी।

7. परिवर्धन, विलोपन तथा शुद्धिकरण की प्रविष्टि संगत अनुपूरक के अन्तर्गत होनी चाहिये।

8. अगले माह की सातवीं तारीख तक पांडुलिपि की एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्वाचक सूची प्रबंधन प्रणाली (ERMS)/निर्वाचक सूची की कम्प्यूटरीकृत कार्यकारी प्रति में डाटा प्रविष्टि के लिये हस्तांतरित की जायेगी।

अध्याय–VII

प्रवासी निर्वाचकों का निबंधन

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क, जिसे लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया है और जो दिनांक 10 फरवरी, 2011 से प्रभावी हो चुकी है, में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, अर्थात् ऐसा भारतीय नागरिक, जो नियोजन, शिक्षा या अन्य किसी कारण से भारत में अपने सामान्य निवास के स्थान से अनुपस्थित रह रहा है, जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, और जिसका नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित नहीं है, वह उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नाम निबंधित कराने हेतु अधिकृत है, जो उसके पासपोर्ट में प्रविष्टि के अनुसार भारत में उसका निवास स्थान है।

2. प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, जिसका भारत में निवास स्थान निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के अनुसार भारत के किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, एवं जिसने 01 जनवरी, 2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और जो अपना नाम निर्वाचक सूची में निबंधित कराने का इच्छुक है, प्ररूप–6क परिशिष्ट 4.2) में उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में निबंधन हेतु आवेदन समर्पित कर सकता है, जिसमें पासपोर्ट की प्रविष्टि के अनुसार उसका निवास स्थान अवस्थित है। प्ररूप–6क में दावा संबंधी आवेदन या तो स्वयं उपस्थित होकर संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को समर्पित किया जा सकता है अथवा उस रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्ररूप–6क में वर्णित तथा दिशानिर्देशों में उल्लिखित अभिलेखों के साथ डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित हो कर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो पासपोर्ट की मूल प्रति भी सत्यापन के लिए उपस्थापित की जानी चाहिये। जब दावा से संबंधित आवेदन डाक द्वारा भेजा जाये तब उसके साथ पासपोर्ट के संगत पृष्ठों की सम्यक रूप से स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न होनी चाहिये।

3. डाक से प्ररूप 6क में प्राप्त आवेदनों तथा उनके साथ संलग्न स्व–अभिप्रमाणित दस्तावेजों का सत्यापन मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए पासपोर्ट में उल्लिखित गृह पते पर मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जा कर जांच की जायेगी। स्व–अभिप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियों के सत्यापन हेतु आवेदक के संबंधी/रिश्तेदार से पृच्छा की जायेगी तथा उनसे इस संबंध में घोषणा–पत्र प्राप्त किया जायेगा। उन मामलों में, जहां कोई रिश्तेदार उपलब्ध न हो अथवा दस्तावेजों के सत्यापन संबंधी घोषणा–पत्र देने हेतु रिश्तेदार इच्छुक नहीं हों अथवा दस्तावेजों के रिश्तेदारों द्वारा किये गये सत्यापन से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हों, सभी दस्तावेजों को संबंधित भारतीय उच्चायोग/दूतावास, जहां आवेदक निवास करते हैं, सत्यापन के लिए भेजा जायेगा।

4. मतदान के समय मतदान केन्द्रों पर प्रवासी निर्वाचकों का सत्यापन उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए उन्हें मतदान केन्द्र पर अपने मूल पासपोर्ट को ले कर आना आवश्यक होगा।

अध्याय–VIII

सेवा मतदाताओं का नामांकन

1. सेवा मतदाता सेवा अर्हता प्राप्त मतदाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार ''सेवा अर्हता'' से अभिप्रेत है :–

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है,

2. ऐसे व्यक्ति जिन्हें सेवा अर्हता प्राप्त है, अपने पैतृक स्थान पर 'सेवा मतदाता' के रूप में नाम दर्ज करा सकते हैं, यद्यपि वे दूसरी जगह (पदस्थापन स्थल पर) पर निवास करते हैं। **उन्हें यह विकल्प भी उपलब्ध है कि वे अपने पदस्थापन स्थल पर सामान्य निर्वाचक के रूप में अपना नामांकन करा सकते हैं, जिस जगह पर वे पर्याप्त अवधि से अपने परिवार के साथ सामान्यतया निवास कर रहे हैं।**

3. सेवा मतदाता की पत्नी, यदि वह सेवा निर्वाचक के साथ सामान्यतया निवास कर रही हो, तो उन्हें भी उस निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि सशस्त्र बल मतदाता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, का सेवा मतदाता समझा जायेगा। इस हेतु सशस्त्र बल मतदाता को प्ररूप 2 **(परिशिष्ट 5.1)** अथवा प्ररूप 2क **(परिशिष्ट 5.2)** में यह घोषणा–पत्र देना होगा कि उसकी पत्नी सामान्यतया उसके साथ निवास करती हैं। यह सुविधा पुरूष सेवा मतदाता की पत्नी को ही उपलब्ध है, महिला सेवा मतदाता के पति को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

4. ऐसा व्यक्ति, जिसे सेवा अर्हता प्राप्त है, को निर्वाचक सूची के **गहन पुनरीक्षण** के सर्वेक्षण के समय सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकित नहीं किया जाना है, भले ही वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ सर्वेक्षण के समय अपने निवास स्थल पर मौजूद हो।

5. इसी प्रकार सेवा मतदाता की पत्नी, जो अपने पति के साथ उसके पदस्थापन स्थल पर सामान्यतया निवास करती है, को निर्वाचक सूची के गहन पुनरीक्षण के सर्वेक्षण के समय सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह सर्वेक्षण के समय घर पर मौजूद हो।

6. लेकिन यदि कोई व्यक्ति, जिसे सेवा अर्हता प्राप्त है, अपने पदस्थापन स्थल पर अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय से सामान्यतया निवास करता है, तो उस व्यक्ति की गणना सामान्य निर्वाचक के रूप में (गहन पुनरीक्षण के दौरान) एवं प्ररूप 6 में उस व्यक्ति द्वारा किये गये स्वेच्छापूर्वक अनुरोध के आधार पर (संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान) की जा सकती है। उक्त सभी मामलों में सेवा मतदाता एवं उसकी पत्नी से विहित प्रपत्र **(परिशिष्ट 4.11)** में घोषणा–पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

7. सेवा के वैसे सभी सदस्य, जिनका नाम अपने पैतृक स्थान के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम भाग की निर्वाचक सूची में नाम दर्ज नहीं हो तथा जो अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर पर्याप्त अवधि से अपने परिवार के साथ रह रहे हों, पदस्थापन स्थल के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य भाग की निर्वाचक सूची में सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकन कराने हेतु योग्य होंगे।

अध्याय– IX

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक)

1. मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के अन्तर्गत निर्गत किया गया एक पहचान अभिलेख है। ईपिक में निर्वाचक का विवरण यथा नाम, पिता/माता/पति का नाम, जन्म तिथि/अर्हता तिथि को आयु, लिंग, पता एवं सबसे महत्त्वपूर्ण–निर्वाचक का छायाचित्र–होता है। ईपिक का प्ररूप **परिशिष्ट 6 तथा 6 क** पर द्रष्टव्य है।

2. मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्वाचक के लिये एक स्थायी दस्तावेज है। यह मतदान के समय निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। निर्वाचक, जिन्हें ईपिक निर्गत किया गया हो, के लिये यह अनिवार्य है कि वे मतदान के समय अपना ईपिक प्रस्तुत करें ताकि उन्हें मतदान करने दिया जा सके।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) का प्ररूप

3. फोटो पहचान पत्र का आकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है एवं यह 8.4 से०मी० लम्बाई X 5.0 से०मी० चौड़ाई का होना चाहिये। छायाचित्र 320 X 240 पिक्सल स्पष्टता (resolution) एवं 2.4 से०मी० उँचाई X 1.8 से०मी० चौड़ाई के आकार का होना चाहिये जिसमें छायाचित्र का 75% भाग हल्की पृष्ठभूमि में सामने से लिये गये निर्वाचक के चेहरे से आच्छादित हो। ईपिक पर अंकित करने हेतु निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति के नाम, लिंग एवं जन्म तिथि/अर्हता तिथि पर आयु इत्यादि की जानकारी निर्वाचक विवरण डाटाबेस (Elector detail database) से प्राप्त की जानी है। निर्वाचक नामावली में जन्म तिथि प्रदर्शित न हो कर मात्र आयु ही प्रदर्शित होती है। परंतु यह आयु प्ररूप 6 में निर्वाचक द्वारा दी गयी जन्म तिथि, यदि वह निर्वाचक को ज्ञात हो, से ही प्राप्त की जाती है। अतः मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रयोजन हेतु जन्म तिथि प्ररूप 6 से ही ली जानी चाहिये। यदि जन्म तिथि उपलब्ध न हो अथवा प्ररूप 6 में उसका उल्लेख न कर मात्र आयु का ही उल्लेख किया गया हो तो उक्त आयु से निर्वाचक के जन्म के वर्ष की गणना कर ईपिक पर 'जन्म तिथि' के लिये दिये गये 8 खानों (8 Boxes) में से मात्र जन्म वर्ष से सम्बंधित अंतिम 4 खानों (Last 4 Boxes) में जन्म का वर्ष उल्लिखित किया जाना चाहिये।

4. ईपिक पर निर्वाचक का छायाचित्र मुद्रित होता है तथा एक सुरक्षा होलोग्राम इस प्रकार चिपकाया जाता है कि उसका आधा भाग छायाचित्र पर और आधा छायाचित्र की बायीं ओर बगल में खाली स्थान पर स्थित हो। ईपिक की दूसरी ओर निर्वाचक का पता तथा ईपिक निर्गत करने वाले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति (facsimile signature) अंकित होती है।

5. आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ईपिक की छपाई में प्रयुक्त होने वाला कागज 165 जी0एस0एम0 से कम का नहीं होना चाहिये। जहाँ कागज की एक ओर ही छपाई कर एवं उसे मोड़कर ईपिक तैयार किया गया हो, वहाँ प्रयुक्त किया गया कागज 80 जी0एस0एम0 से कम का नही होना चाहिये। ईपिक के लैमिनेशन में प्रयोग की जाने वाली पॉलिएस्टर परत की मोटाई कम–से–कम 125 माईक्रॉन होनी चाहिये।

ईपिक के आकार–प्रकार से सम्बंधित विस्तृत निदेश **परिशिष्ट 6 तथा 6क** पर देखे जा सकते हैं।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) तैयार एवं निर्गत करना

6. ईपिक तैयार किये जाने हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा वेण्डर चिन्हित किये गये होंगे एवं ईपिक बनाने हेतु उन्हें स्थान उपलब्ध कराया गया होगा। ईपिक तैयार करने एवं निर्गत करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है निर्वाचक का छायाचित्र। निर्वाचकों का छायांकन किये जाने हेतु प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/जिला

में अभिहित छायांकन स्थल (Designated Photography Locations - DPL) या वी०आर०ई०सी० होते हैं।

7. ईपिक के पीछे निर्वाचक द्वारा दिया गया उनका पता अंकित होता है जिसका विधिवत् सत्यापन कर लिया जाता है। तत्पश्चात ईपिक निर्गत करने वाले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति एवं उनका पदनाम अंकित रहता है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति (Facsimile) वाली मुहर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे उन्हीं की अभिरक्षा में रखा जाता है।

8. इस प्रकार तैयार किये गये ईपिक का लैमिनेशन कर उसे मतदाता को हस्तगत करा दिया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ईपिक उसी निर्वाचक को हस्तगत कराया जाये वास्तव में वह ईपिक हो एवं ईपिक प्राप्त किये जाने की उचित पावती भी ले ली जानी चाहिये। किसी भी दशा में अग्रतर वितरण हेतु किसी बिचौलिये को ईपिक नही सौंपा जाना है।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्गत करने की प्रक्रिया

1. किन्हीं निर्वाचक को एक बार ईपिक निर्गत कर दिये जाने के पश्चात् वह देश भर में मान्य होता है तथा निर्वाचक को दूसरा ईपिक निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे वह उस निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरित हो गया हो जहाँ से उसे पूर्व में ईपिक जारी हुआ था। ईपिक का उद्देश्य निर्वाचक नामावली में नाम के साथ निर्वाचक की पहचान करना है। एक बार निर्गत किया जा चुका ईपिक, भले ही वह किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जारी किया गया हो, इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है।

2. ईपिक निर्गत किये जाते समय स्थिति के अनुसार विभिन्न सावधानियाँ बरती जानी चाहिये। वैसे निर्वाचक के संबंध में, जिन्हें पहली बार ईपिक निर्गत किया जा रहा हो, साधारणतया ईपिक जारी करने का कार्य निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित किये जाने के साथ ही होगा। उनका नाम निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने तथा उनके छायाचित्र एवं पता के भौतिक सत्यापन के उपरांत उन्हें ईपिक निर्गत किया जा सकता है। आवेदक के पहली बार निर्वाचक बनने संबंधी तथ्य का सत्यापन उनके द्वारा प्ररूप 6 के भाग IV में दी गयी घोषणा से कर लिया जाना चाहिये।

3. ऐसे मामलों में, जहाँ कोई निर्वाचक पूर्व से ही पंजीकृत हों एवं उनका दावा हो कि उन्हें पूर्व में ईपिक निर्गत नहीं किया गया है, वहाँ निर्वाचक से तत्संबंधी घोषणा प्राप्त कर ली जानी चाहिये। उन्हें ईपिक निर्गत किये जाने से पूर्व, उनके द्वारा प्ररूप 6 के भाग IV में दी गयी घोषणा में उल्लिखित पूर्व निवास के निर्वाचन क्षेत्र के डाटा बेस से, यह सत्यापित कर लिया जाना चाहिये कि उन्हें पहले कभी कोई ईपिक निर्गत नहीं किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि निर्वाचक द्वारा कोई ऐसा पता दिया गया है जिसका सुराग नहीं मिल रहा है, तो ईपिक निर्गत नहीं किया जाना चाहिये तथा निर्वाचक को सलाह दी जानी चाहिये कि वे अपने पूर्व निवास का सही एवं पूरा पता उपलब्ध करायें। यदि आवेदक के पूर्व निवास स्थल से सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र के डाटा बेस में विलोपित निर्वाचकों के रूप में उनका पूर्व निर्वाचक के रूप में विवरण प्राप्त न हो सके तो ईपिक निर्गत करने के पूर्व अग्रतर जाँच की जानी चाहिये।

4. ऐसे मामलों में, जहाँ किसी निर्वाचक को एक निर्वाचन क्षेत्र में ईपिक निर्गत हो चुका है तथा दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नये निवास स्थान पर स्थानांतरित होने के कारण उन्होंने नये ईपिक हेतु आवेदन दिया हो, वहाँ प्रथमतः पूर्व निवास स्थान वाले निर्वाचन क्षेत्र के डाटा बेस से निर्वाचक का ईपिक विवरण, छायाचित्र सहित, प्राप्त कर लिया जाना चाहिये। निर्वाचक को अपना मूल ईपिक भी जमा करने हेतु कहा

जाना है। यदि यह पाया जाता है कि निर्वाचक द्वारा कोई ऐसा पता दिया गया है जिसका सुराग नहीं मिल रहा है, तो ईपिक निर्गत नहीं किया जाना चाहिये तथा निर्वाचक को सलाह दी जानी चाहिये कि वे अपने पूर्व निवास का सही एवं पूरा पता उपलब्ध करायें। आवश्यक विवरण तथा मूल ईपिक प्राप्त करने एवं वर्तमान आवासीय पता के उचित सत्यापन के उपरांत निर्वाचक को पूर्ववर्ती ईपिक संख्या के साथ नया ईपिक, ₹25/– के शुल्क के भुगतान पर, निर्गत किया जा सकता है। ऐसे मामलों में नये ईपिक पर ''डुप्लीकेट'' शब्द अंकित नहीं किया जाना चाहिये।

5. ऐसे मामलों में, जहाँ निर्वाचक को ईपिक निर्गत किया गया है तथा निर्वाचक ने कुछ प्रविष्टियों में संशोधन हेतु अनुरोध किया हो, वहाँ आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु निर्वाचक द्वारा प्ररूप 8 में अनुरोध किया जाना चाहिये। इस दशा में प्ररूप 8 की प्राप्ति के उपरांत आवश्यक संशोधनों के साथ उसी ईपिक संख्या का ईपिक निर्गत किया जाना चाहिये जो ईपिक संख्या उन्हें पूर्व में निर्गत ईपिक की थी। ऐसे मामलों में भी नये ईपिक पर ''डुप्लीकेट'' शब्द अंकित नहीं किया जाना चाहिये।

6. यदि निर्वाचक द्वारा यह दावा किया जाता है कि उन्हें पूर्व में निर्गत ईपिक खो गया है, तो उनसे इस आशय का एक घोषणा–पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिये। तत्पश्चात् उन्हें पूर्ववर्ती ईपिक में अंकित विवरण, ईपिक संख्या सहित, के साथ नया ईपिक निर्गत किया जाना चाहिये। इस तरह के मामलों में नये ईपिक पर ''डुप्लीकेट'' शब्द अंकित किया जाना चाहिये।

7. आयोग द्वारा ईपिक जारी करने हेतु ₹25/– का एक मामूली शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि बार–बार ईपिक जारी करने संबंधी अनुरोध करने की प्रवृत्ति में कमी लाई जा सके। यह शुल्क निम्न दशाओं में नहीं वसूला जाना है :–

   (क) निर्वाचक को पहला ईपिक निर्गत करते समय

   (ख) निर्वाचन तंत्र के कारण हुई किसी त्रुटि के फलस्वरूप

   (ग) प्राकृतिक आपदा, यथा– बाढ़, तूफान, भूकंप इत्यादि के कारण संपदा नष्ट होने से ईपिक का खो जाना

8. चूँकि पहली बार निर्गत किया जाने वाला ईपिक निःशुल्क है तथा एक बार निर्गत किये जाने के पश्चात् वह पूरे जीवन–काल हेतु देश भर में कहीं भी मान्य है, अतः ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें, निर्वाचन के दौरान अपनी पहचान सिद्ध करने हेतु, निर्वाचक को यह शुल्क अदा करने के लिए बाध्य किया जाये। ऐसे मामलों में, जहाँ निर्वाचक को पते में या उसके अनुरोध पर अन्य विवरण में बदलाव के कारण या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार किये जाने के कारण पुनः ईपिक निर्गत किया जाना हो, वहाँ निर्वाचक का पुराना ईपिक उनसे वापस प्राप्त कर लेना है। किसी भी परिस्थिति में एक निर्वाचक द्वारा दो ईपिक नहीं रखे जा सकते हैं।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु

1. निर्वाचक के ईपिक–विवरण की व्यापकता, विशिष्टता एवं नित्यता बनाये रखने के पूरे प्रयास किये जाने चाहिये। ईपिक संख्या ही निर्वाचक–विवरण को उनके ईपिक–विवरण से जोड़ने वाली कड़ी होती है। ईपिक संख्या प्रत्येक निर्वाचक को एक विशिष्ट स्थायी पहचान उपलब्ध कराती है, अतएव यह अत्यावश्यक है कि एक बार निर्मित होने के बाद यह सूचना नष्ट न हो। ऐसे मामलों में, जहाँ निर्वाचक

नामावली के सत्यापन हेतु घर–घर जाने का अभियान चलाया जाता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के अन्य विवरण के साथ–साथ ईपिक संख्या भी प्राप्त की जानी चाहिये।

2. ईपिक महज पहचान स्थापित करने हेतु निर्गत एक अभिलेख है। मात्र ईपिक के होने से किसी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। यह अधिकार मात्र उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके नाम तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में भी हों। ईपिक उन व्यक्तियों, जिनके नाम निर्वाचक नामावली में हैं, की मात्र पहचान स्थापित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मतदान के अपने अधिकार का सुगमता से प्रयोग कर सकें।

अध्याय–X

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) की पंजी

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी की पंजी दो भाग में निम्नवत् होती है :–

परिशिष्ट 7.1 के अन्तर्गत एनेक्सचर–I के फॉर्मेट के संबंधित स्तंभ (relevant column) में निर्वाचक सूची में वर्त्तमान में अंकित नाम, तथा यदि उससे संबंधित कोई शुद्धि हो, की प्रविष्टि रहती है।

परिशिष्ट 7.1 के अन्तर्गत एनेक्सचर–II में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) को अपने आवंटित भाग क्षेत्र में नये विकसित क्षेत्र/सोसायटी/अपार्टमेंट आदि से संबंधित सूचनाओं का उल्लेख करना होता है। इसमें मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) को नवागंतुक निर्वाचकों (newly arrived electors) तथा निर्वाचक होने योग्य, परंतु छूटे हुए, व्यक्तियों से संबंधित सूचना अद्यतन करनी है **(परिशिष्ट 7.1)**।

परिशिष्ट 7.1 के अंतर्गत एनेक्सचर 1 में

(1) परिशिष्ट 7.1 के अंतर्गत एनेक्सचर 1 में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) को अपने भाग से संबंधित निर्वाचक सूची का सत्यापन (verify) करना है तथा संशोधनों का विवरण अंकित करना है। अगर किसी निर्वाचक से संबंधित कोई खास विवरण (Particular) यथा निर्वाचक का नाम, उम्र, लिंग, संबंध, गृह संख्या, ईपिक संख्या आदि, में संशोधन किया जाना है तो उससे संबंधित विवरण की मूल प्रविष्टि को गोल घेर देना है (Encircle) तथा उसके नीचे संशोधन (Correction) अंकित करना है। यह कार्य लाल स्याही वाले बॉल पेन से किया जाना है। निर्वाचक के नाम, उपनाम, संबंध का नाम एवं गृह संख्या से संबंधित विवरण दो भाषाओं यथा अंग्रेजी एवं राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा (widely spoken language) में रहेगा। यह विवरण संबंधित निर्वाचक को दिखाकर सत्यापित (Verify) किया जाना है। यदि निर्वाचक का कोई विवरण गलत हो, तो उसे लाल स्याही वाले बॉल पेन से गोल घेर कर उससे संबंधित सही विवरण उसके नीचे बने स्तंभ में अंकित कर देना है।

(i) यदि निर्वाचक का छायाचित्र सही है, तो सही का चिन्ह (✓) स्तंभ–1 में अंकित कर देना है। निर्वाचक का छायाचित्र गलत होने की दशा में स्तंभ–1 में क्रॉस का चिन्ह (x) अंकित किया जायेगा। गलत छायाचित्र होने की स्थिति में निर्वाचक से सही छायाचित्र भी प्राप्त कर लेना है। इसी तरह यदि प्रविष्टि में छायाचित्र नहीं है, तब भी वास्तविक निर्वाचक से उनका हाल का छायाचित्र प्राप्त किया जाना है।

(ii) 'ईपिक संख्या' की गलत प्रविष्टि की स्थिति में स्तंभ–3 में उस गलत प्रविष्टि को लाल स्याही वाले बॉल पेन से गोल घेर दिया जाना है तथा सही ईपिक संख्या अंकित कर दी जानी है।

(iii) निर्वाचक की 'जन्म तिथि' स्तंभ संख्या 3 में दिखाई जानी है। जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि निर्वाचक को दिखाकर सत्यापित की जानी है। यदि निर्वाचक की जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि गलत है, तो उसे लाल स्याही वाले बॉल पेन से गोल घेरकर उससे संबंधित सही विवरण नीचे के रिक्त स्थान में अंकित कर देना है। जन्म तिथि से संबंधित विवरण स्पष्ट एवं सही साक्ष्यों (specific and valid evidences) जैसे– विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, बी0पी0एल0 प्रमाण–पत्र या सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अन्य दस्तावेजों से मिलान करने के उपरांत अंकित किया जाना है। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में इस स्तंभ को खाली छोड़ देना है (गलत अथवा अनुमान आधारित सूचना बिना सत्यापन के अंकित नहीं की जानी चाहिए)।

(iv) निर्वाचक की 'गृह संख्या' से संबंधित गलत प्रविष्टि की दशा में गलत प्रविष्टि (स्तंभ–4) को लाल स्याही वाले बॉल पेन से घेर देना है तथा सही गृह संख्या का अंकन कर देना है।

(v) यदि निर्वाचक के 'नाम' में कोई गलती है तो उसे लाल स्याही वाले बॉल पेन से (स्तंभ–5 में) गोल घेर देना है तथा सही विवरण अंकित कर देना है। इसके अतिरिक्त नाम में संशोधन के लिए निर्वाचक से प्ररूप –8 में आवेदन पत्र भी प्राप्त कर लेना चाहिए।

(vi) यदि निर्वाचक के ''संबंध'' वाली प्रविष्टि गलत है, तो संबंधित विवरण (स्तंभ–6) को लाल स्याही वाले बॉल पेन से गोल घेर देना है तथा सही विवरण अंकित कर देना है।

(vii) यदि निर्वाचक के 'लिंग' से संबंधित प्रविष्टि गलत हो तो उसको लाल स्याही वाले बॉल पेन से (स्तंभ–6) गोल घेर देना है तथा सही विवरण अंकित कर देना है।

(viii) निर्वाचक की 'उम्र' से संबंधित गलत प्रविष्टि की स्थिति में, प्रविष्टि को लाल स्याही वाले बॉल पेन से स्तंभ–6 में गोल घेर देना है तथा अर्हता तिथि के आधार पर सही उम्र अंकित कर दी जानी है।

(2) स्तंभ–8 में E / S / R (E-मृत : S-कहीं दूसरे जगह चले गये : R-दुबारा प्रविष्टि) से संबंधित विवरण अंकित किया जाना है। इससे संबंधित निदेश निम्नवत् हैं :–

(क) किसी निर्वाचक की मृत्यु से संबंधित सूचना (स्तंभ–8) मृत्यु की तिथि के साथ ''मृत'' अंकित करते हुए अंकित की जानी है। ऐसे मामलों में मृत निर्वाचक के परिवार के किसी सदस्य से प्ररूप–7 में आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना है। ज्योंही प्ररूप–7 प्राप्त हो जाता है, इसका उल्लेख अभ्युक्ति स्तंभ–10 में कर देना है।

(ख) जब निर्वाचक अपने भाग क्षेत्र से कहीं अन्यत्र चला गया हो तो इससे संबंधित सूचना स्तंभ–8 में ''अन्यत्र चले गये'' (shifted) के रूप में अंकित की जानी है। जहाँ तक संभव हो, वैसे निर्वाचकों के लिए प्ररूप–7 में आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। यदि प्ररूप–7 प्राप्त हो जाता है, तो इसका उल्लेख अभ्युक्ति स्तंभ–10 में कर देना है। निर्वाचक या तो अकेले अथवा अपने परिवार के साथ अपने भाग क्षेत्र से अन्यत्र जा सकता है। यदि निर्वाचक अपने परिवार के साथ अन्यत्र चला गया है तो स्तंभ–10 में '' परिवार के साथ अन्यत्र चले गये'' (shifted with family) और यदि निर्वाचक अकेले अन्यत्र चला गया हो तथा परिवार के शेष सदस्य उस भाग क्षेत्र में ही रह गये हों, तो स्तंभ–10 में ही '' परिवार के बिना अन्यत्र चले गये'' (shifted without faimly) अंकित किया जाना है। सत्यापन के दौरान ही मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) द्वारा अन्यत्र चले गये निर्वाचक को विहित प्ररूप में नोटिस दे दिया जायेगा। इस नोटिस पर अन्यत्र चले जाने का कारण भी अंकित होना चाहिए। निर्वाचक के अन्यत्र चले जाने के निम्नलिखित संभावित कारण हो सकते हैं :–

1. किरायेदार होने के कारण निवास/घर को परिवर्तित या खाली करना।
2. रोजगार के उद्देश्य से अन्यत्र चले जाना।
3. विवाह।
4. तलाक।
5. आवास परिवर्त्तन।
6. अन्य कारण।

(ग) (1) यदि किसी निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची में एक से अधिक बार अंकित पाया जाता है, तो स्तंभ–8 में 'दोहरी प्रविष्टि' (Repeated entry) अंकित कर दिया जाना है तथा संबंधित भाग क्षेत्र संख्या/क्रम संख्या अभ्युक्ति स्तंभ–10 में सावधानी से अंकित कर देनी है।

(2) निर्वाचक सूची में दर्शाये गये पते पर निर्वाचक के निवास करने अथवा रहने की अवधि (वर्ष में) संबंधी विवरण स्तंभ–9 में अंकित करना है।

(3) एनेक्सचर–I से संबंधित सूचना एवं विवरण सावधानी से भरे जाने हैं एवं इसके आधार पर सत्यापन के उपरांत ही निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने/हटाने/संशोधन आदि के संबंध में निर्णय लेंगे।

(4) एनेक्सचर–II

(i) नये विकसित क्षेत्र/सोसायटी/अपार्टमेंट/कॉलोनी आदि के संबंध में :–

निर्वाचक सूची के संबंधित भाग क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के अंदर विकसित नये क्षेत्र/सोसायटी/अपार्टमेंट/कॉलोनी संबंधी सूचनाओं को मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) द्वारा सत्यापित तथा अद्यतीकृत किया जाना है। यह ध्यान रहे कि इन नये विकसित क्षेत्रों/सोसायटी/ अपार्टमेंट/कॉलोनी से संबंधित सूचनाएं निर्वाचक सूची के किसी अन्य भाग क्षेत्र में दोबारा अंकित न हो जायें।

(ii) बाहर से आये/बाहर चले गये निर्वाचकों का सूचीकरण :–

इस फॉर्मेट में वैसे निर्वाचक, जो बाहर से आ कर भाग क्षेत्र के नये विकसित क्षेत्र/सोसायटी/अपार्टमेंट/कॉलोनी में रह रहे हैं, का विवरण अंकित किया जाना है। यदि कोई घर पहले के निर्वाचक द्वारा खाली कर दिया गया हो तथा वहाँ नया निर्वाचक रहने के लिए आ गया हो, तो उस आशय का विवरण पूर्व के निर्वाचक के नाम के विरूद्ध एनेक्सचर–I के अभ्युक्ति स्तंभ–10 में लाल स्याही वाले बॉल पेन से ' अन्यत्र चले गये' (shifted) के रूप में अंकित कर देना है।

(iii) भाग क्षेत्र में रह रही आबादी का आकलन :–

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) द्वारा प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की संख्या से संबंधित एक सांख्यिकीय सूचना (statistical information) तैयार की जानी है। इससे उस भाग क्षेत्र में रहने वाले पुरूषों की संख्या, महिलाओं की संख्या तथा कुल जनसंख्या ज्ञात हो जायेगी। इसके साथ ही परिवार के उन सदस्यों के नाम, जो 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले हों, अलग से अंकित कर लेने हैं।

(5) पंजी के एनेक्सचर–II के साथ संलग्न राज्य की भाषा एवं अंग्रेजी में अंकित प्रत्येक प्रभाग का विवरण विशेष रूप से सत्यापित किया जाना है। यदि राज्य की भाषा या अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रभाग के नाम/पता/पिन कोड में सुधार किया जाना है, तो इसे लाल स्याही वाले बॉल पेन से गोल घेर कर सही विवरण नीचे रिक्त स्थान में अंकित कर देना है।

(6) संबंधित भाग क्षेत्र की जनसंख्या की सही जानकारी होने के बाद निर्वाचक – जनसंख्या अनुपात (Elector-population ratio) पर कार्य किया जाना है। निर्वाचक – जनसंख्या अनुपात की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जानी है :–

$$\text{निर्वाचक–जनसंख्या अनुपात} = \left(\frac{\text{भाग के कुल निर्वाचक } \mathbf{X}\ 100}{\text{भाग की कुल जनसंख्या}} \right)$$

अर्थात यदि किसी भाग क्षेत्र के अंदर कुल जनसंख्या 1600 एंव निर्वाचकों की संख्या 1000 है तो

$$\text{निर्वाचक–जनसंख्या अनुपात} = \left(\frac{\text{1000 (भाग के कुल निर्वाचक) } \mathbf{X}\ 100}{\text{1600 (भाग की कुल जनसंख्या)}} \right)$$

$$= \text{62.5 होगा}$$

(7) उपर्युक्त विवरण भरने के बाद, निम्न गणना की जानी है :–

1. आयु वर्ग 18–19 में निर्वाचकों की संख्या = _____
2. आयु वर्ग 20–29 में निर्वाचकों की संख्या = _____
3. आयु वर्ग 30–39 में निर्वाचकों की संख्या = _____
4. आयु वर्ग 40–49 में निर्वाचकों की संख्या = _____
5. आयु वर्ग 50–59 में निर्वाचकों की संख्या = _____
6. आयु वर्ग 60–69 में निर्वाचकों की संख्या = _____
7. आयु वर्ग 70–79 में निर्वाचकों की संख्या = _____
8. आयु वर्ग 80–89 में निर्वाचकों की संख्या = _____
9. आयु वर्ग 90–99 में निर्वाचकों की संख्या = _____
10. आयु वर्ग 100 + में निर्वाचकों की संख्या = _____

कुल निर्वाचक = _____

अंत में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) को अपना हस्ताक्षर करना है।

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रतिवेदन

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में एकत्रित सूचनाओं से संबंधित प्रतिवेदन (Statements) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) को समर्पित किये जाने हैं **(एनेक्सचर 7.2)** तथा उन्हें भविष्य की योजनाओं (future strategy) के लिये भी रखा जाना है।

अध्याय–XI

मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0)

1. निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान/मतगणना के समय नियुक्त किये जाने वाले मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के सदृश मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) की सहायता करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) की अवधारणा विकसित की है। सामान्यतः निर्वाचक सूची के एक भाग के लिए एक मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) नियुक्त किया जाता है। बी0एल0ओ0 को उसे संबंधित भाग क्षेत्र, जहाँ वह निवास करता है, का पंजीकृत निर्वाचक होना चाहिये।
2. जब एक बार मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) किसी खास वर्ष में निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के लिए राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है, वह बाद के वर्षो के लिए भी तब तक मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) बना रहता है, जब तक उसका मनोनयन/प्राधिकरण (Nomination/Authorization) संबंधित दल द्वारा या तो वापस नहीं ले लिया जाता है अथवा मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) उस क्षेत्र का निर्वाचक नहीं रह जाता है।
3. कोई व्यक्ति जो सरकार/स्थानीय प्राधिकार/ सार्वजनिक लोक उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो, मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
4. मतदान केन्द्र पर निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) द्वारा विहित प्रपत्र (प्रपत्र आई0डी0–बी0एल0ए0–2) में अपना नियुक्ति–पत्र मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) को सौंपा जायेगा।
5. इस नियुक्ति पत्र के आधार पर मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) संबंधित भाग क्षेत्र की निर्वाचक सूची की मुद्रित प्रति मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) को प्राप्त करा देगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद बी0एल0ए0 से ले लेगा।
6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 11 के अधीन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मुफ्त दी जानेवाली निर्वाचक सूची की मुद्रित प्रति ही संबंधित मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) को दी जायेगी।
7. यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा कोई मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) नियुक्त नहीं किया गया है, तब वैसी स्थिति में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) द्वारा प्रारूप निर्वाचक सूची की मुद्रित प्रति किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।
8. मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) किसी व्यक्ति से दावा एवं आपत्ति प्राप्त नहीं करेगा। वह सिर्फ नाम जोड़ने, विलोपित करने, संशोधन एवं स्थानांतरित किए जाने संबंधी प्ररूपों को सही–सही भरने में लोगों की मदद करेगा
9. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु निर्धारित विशेष अभियान दिवसों को मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ताओं (बी0एल0ए0) का भी उपस्थित रहना अपेक्षित है। मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ता (बी0एल0ए0) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) के साथ मिलकर निर्वाचक सूची की अशुद्धियों की पहचान करेंगे। वे घर–घर घूमकर मृत/ अन्यत्र चले गये/ दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों की सूची तैयार कर उसे मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को सौंप सकते हैं।
10. मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमित रूप से मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्त्ताओं (बी0एल0ए0) के सम्पर्क में बने रहें।

अध्याय –XII

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

1. लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 25 जनवरी, 2011 से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी, जो कि आयोग का स्थापना दिवस है, को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाये। आयोग का उद्देश्य इस अवसर का उपयोग कर मतदाताओं के नामांकन में वृद्धि करना है, ताकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को वास्तव में साकार किया जा सके एवं साथ ही भारतीय लोकतंत्र में गुणात्मक अभिवृद्धि की जा सके। इस दिवस का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये मतदाताओं के बीच जागरूकता का प्रसार करने हेतु किया जाता है।

2. इस अवसर पर प्रत्येक मतदान केन्द्र में नवीनतम पुनरीक्षण के दौरान पंजीकृत नये मतदाताओं को एक संक्षिप्त समारोह में सम्मानित किया जाता है। आशा की जाती है कि इससे नये मतदाताओं में लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के लिये प्रतिबद्धता जागृत होगी जिससे अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। यह मतदान केन्द्र क्षेत्र में रह रहे अन्य योग्य निर्वाचकों हेतु स्मार–स्वरूप भी होगा एवं निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के संबंध में उनके दायित्वों से उन्हें अवगत भी करायेगा।

3. निर्वाचन आधारित लोकतंत्र के मूल्यों तथा निर्वाचनों में लोक भागीदारी से संबंधित विषयों पर प्रकाश डालने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश की राजधानी में एक उपयुक्त कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है।

4. राज्यों में, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में, जिला निर्वाचन पदाधिकारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलों में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करते हैं :–

   (i) प्रत्येक मतदान केन्द्र में बी0एल0ओ0 द्वारा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को एक संक्षिप्त समारोह/जिला निर्वाचन पदाधिकारी अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा आयोजित जन समारोह में नये पंजीकृत मतदाताओं को सम्मानित किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित स्वरूप एवं रंग–विन्यास वाले बैज का निर्धारण किया गया है जिस पर आयोग का प्रतीक चिन्ह एवं एक नारा **"मतदाता होने पर गर्व है – मतदान के लिए तैयार हूँ"** छपा होता है तथा जो बी0एल0ओ0 द्वारा नये निर्वाचकों के अलंकरण समारोह में **उनके ईपिक के साथ** उन्हें दिया जाता है। प्रत्येक मतदान केन्द्र क्षेत्र में ऐसा संक्षिप्त समारोह/जन समारोह आयोजित किये जाने हेतु स्थल एवं आवश्यक व्यवस्था का प्रबंध जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कराया जाता है।

   (ii) निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उन भाग (भागों) के समारोह/जन समारोह में भाग लेते हैं जहाँ सर्वाधिक संख्या में नये पंजीकृत निर्वाचकों को सम्मानित किया जाना हो।

   (iii) जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सिविल सोसायटी समूहों, मीडिया इत्यादि के सहयोग से जिला मुख्यालय में उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि निर्वाचनों में भागीदारी को लोकप्रिय बनाया जा सके तथा मतदाता–शिक्षा में बढ़ोत्तरी हो। इस कार्यक्रम में स्थानीय मतदान केन्द्र क्षेत्र के नये मतदाताओं के बीच ईपिक का वितरण किया जाता है।

   (IV) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मीडिया, सिविल सोसायटी, विचार समूहों, राज्य प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग इत्यादि के सहयोग से निर्वाचन सहभागिता को लोकप्रिय बनाने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में सूचनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में भी स्थानीय मतदान केन्द्र क्षेत्र के नये मतदाताओं के बीच ईपिक का वितरण किया जाता है।

अध्याय–XIII

निर्वाचक सूची की तैयारी में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों की भूमिका

1. मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों के लिए अपेक्षित ज्ञान, क्षमता एवं दृष्टिकोण

- मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13ग ग के प्रावधानों के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रतिनियुक्त हैं।
- उन्हें अपने सरकारी कार्यों के अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों के उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए।
- उन्हें प्ररूप 6, 6ए, 7, 8 एवं 8ए को सही–सही भरने की जानकारी होनी चाहिये।
- विभिन्न प्रपत्रों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी भी उन्हें होनी चाहिये।
- उन्हें स्वयं को आवंटित मतदान केन्द्र के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों तथा वहां रहने वाले निवासियों/परिवारों से परिचित होना चाहिये।
- अपने क्षेत्र के निर्वाचकों से संवाद स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिये।
- घर–घर जा कर सर्वेक्षण करने की क्षमता एवं धैर्य होना चाहिये।
- निर्वाचकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिये।
- निर्वाचकों के प्रति विनम्रता।
- प्रपत्रों का ससमय निष्पादन।
- मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिये।

2. दावा अथवा आपत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति की पावती आवेदक को दी जानी चाहिये।

3. पावती देने से पूर्व प्रत्येक प्ररूप की प्रारम्भिक जांच निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिये :–

(i) प्ररूप थोक में या थोक के भाग के रूप में न जमा किया जाये।

(ii) बिना हस्ताक्षर का प्ररूप स्वीकार न किया जाये। प्रत्येक प्ररूप अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा प्ररूप पर अभ्यर्थी का अंगूठे का निशान लगाया गया हो। दावेदार के साक्षर होने की स्थिति में उसे अपना हस्ताक्षर करना चाहिये न कि कोई चिन्ह अथवा अपने नाम का प्रतीक अकित करना चाहिये, दावेदार के निरक्षर होने की स्थिति में वह अपने अंगूठे का निशान लगाये न कि प्ररूप पर अन्य कोई चिन्ह। यही निर्धारित तरीका है, अतः मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को कोई भी ऐसा दावा या आपत्ति संबंधी अवेदन प्राप्त नहीं करना चाहिये जिस पर समुचित हस्ताक्षर नहीं हो अथवा अंगूठे का निशान नहीं लगाया गया हो।

(iii) प्ररूप में मांगी गई सूचना अथवा कोई भी स्तम्भ खाली नहीं छोड़ा जाये, विशेषकर आवेदक के पूर्व के पता के सम्बन्ध में घोषणा। जहाँ मांगी गयी सूचना की सही जानकारी नहीं हो, वहां ''ज्ञात नहीं'' लिखा जाना चाहिये।

3. **प्ररूप 6 प्राप्त करते समय मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को जांच लेना चाहिये किः–**

(i) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अपना निवास स्थान परिवर्तित करने वाले व्यक्ति को अपना नाम एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र की निर्वाचक सूची में स्थानान्तरित करने के लिए यह सलाह दी गई है कि उसे प्ररूप 8क भरना है न कि प्ररूप 6।

(ii) 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पहली बार निर्वाचक सूची में नाम शामिल कराने वालों को निर्वाचक सूची में शामिल अपने परिवार के सदस्यों का विवरण प्ररूप 6 में विनिर्दिष्ट स्थान पर देना चाहिये। परिवार से तात्पर्य है निकटतम सम्बन्धी जैसे पिता, माता, पति अथवा भाई/बहन।

(iii) जन्म की तिथि एवं आयु, वर्ष या महीने में लिखी जानी चाहिये। यदि आवेदक को अपनी जन्म तिथि ज्ञात न हो तो उसे निर्वाचक सूची की अर्हता तिथि को आधार मानते हुए अपनी लगभग आयु दर्ज करनी चाहिये।

(iv) 18 से 25 आयु वर्ग वाले आवेदकों के आवेदन में, आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों से रिश्ते की जांच की जानी चाहिये, जिनके नाम आवेदक के पता पर निर्वाचक सूची में पूर्व से अंकित हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का पंजीकरण नहीं हो। आवेदक से कहा जाये कि वे यथासम्भव आयु के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें जैसे स्कूल/कालेज का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि। यदि आवेदक के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उन्हें बताया जाना चाहिये कि उसके माता–पिता, जो निर्वाचक सूची में पहले से शामिल हैं, की ओर से निर्धारित प्रपत्र **(परिशिष्ट– 4.10)** में घोषणा की जानी अपेक्षित है।

(v) यदि आवेदक के पास पहले से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध है तो इसकी सूचना प्ररूप 6 में भरी जाये। वैसी स्थिति में उसे अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति भी उपलब्ध करानी चाहिये। 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे लोगों को, जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नही हैं, निर्धारित प्ररूप **(परिशिष्ट– 8.1)** में घोषणा करनी चाहिये।

(vi) प्ररूप 6 के भाग–II में आवेदक द्वारा अपने सामान्य निवास स्थल का पूर्ण पता प्रविष्ट किया जाये जहां की निर्वाचक सूची में आवेदक अपने को निबंधित कराना चाहते हैं। आवेदक को परामर्श दिया जाये कि वह निवास स्थल के प्रमाण के तौर पर किसी दस्तावेज जैसे बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस पास बुक, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, टेलीफोन, बिजली/पानी के विपत्र इत्यादि की छायाप्रति उपलब्ध करा सकता है। इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी आवेदन प्राप्त कर सकता है तथा आवेदन पर ''कोई दस्तावेज संलग्न नहीं'' अंकित करेगा।

(vii) आवेदक यदि किसी पते पर लंबे समय से निवास किया जाना अंकित करता है–जैसे एक वर्ष या उससे अधिक, तो उससे उन परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किस कारण वह पूर्व में पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं कर सका तथा उन कारणों को अभिहित पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्ररूप पर अंकित किया जाना चाहिये।

(viii) आवेदक को अपने ऐसे निकटतम पारिवारिक सदस्यों का विवरण भी प्ररूप 6 के भाग III में अंकित करना है, जिनके नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में सम्मिलित हैं। यदि आवेदक अपने परिवार के निकटतम सदस्यों के केवल नाम लिखता है तथा उनके अन्य विवरण जैसे भाग संख्या, क्रम संख्या तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आदि अंकित नहीं करता है तो उसे परामर्श दिया जाना चाहिये कि वह प्रारूप निर्वाचक सूची की प्रति, जो विनिर्दिष्ट स्थलों पर उपलब्ध हैं, से देख कर उनके पूर्ण विवरण अंकित कर दे।

(ix) आवेदक को प्ररूप 6 के भाग IV में निर्वाचक सूची में अपने पूर्व निबंधन से संबंधित विवरण अवश्य अंकित करना है। परन्तु निर्वाचक क्रम संख्या, भाग संख्या तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण ज्ञात नहीं होने के आधार पर अथवा इसे अंकित नहीं किये जाने के आधार पर आवेदन स्वीकार करने से इंकार नही किया जा सकता, यदि आवेदक के पूर्व के निवास स्थल का पता पूर्ण रूप से अंकित किया हुआ है। परन्तु पूर्व के निवास स्थल का पता पूर्ण रूप से अंकित किया होना चाहिये, जिसके अभाव में आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर लम्बे समय से रह रहा है तथा

उसने अपना निवास नहीं बदला है, परंतु निर्वाचक सूची का विवरण उपलब्ध नहीं है तो उसे सलाह दी जानी चाहिये कि वह पुराने पते के स्थान पर वर्तमान निवास स्थल का पूरा पता अंकित करे।

(x) प्रारम्भिक जांच का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि प्ररूप 6 के अन्त के भाग IV में दी गयी घोषणा हर प्रकार से पूर्ण हो। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के आवेदकों से पूर्व के निवास स्थल का पता अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाये तथा डाटाबेस से जांच की जाये कि उनका नाम किसी अन्य स्थान की निर्वाचक सूची में अंकित है अथवा नहीं। यदि उनका नाम किसी अन्य स्थान की निर्वाचक सूची में पाया जाये तो वर्तमान स्थल की निर्वाचक सूची में नाम दर्ज किये जाने के उपरांत पूर्व के निवास स्थल की निर्वाचक सूची से उनकी प्रविष्टि विलोपित कराई जाये।

(xi) आवेदक यदि सेवा कर्मी (Service Personnel) है तो उसे यह भी घोषणा करनी है कि उसका नाम उसके मूल निवास स्थान के अंतिम भाग की निर्वाचक सूची में सेवा मतदाता के रूप में सम्मिलित नहीं है।

(xii) परिवार के मुखिया अथवा वयस्क सदस्यों को निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों, जैसे गलत सूचना देना तथा इसके परिणाम की वैधानिक स्थिति इत्यादि, से अवगत कराया जाना चाहिये।

(xiii) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी भ्रमण के क्रम में यदि पहली बार में किसी निर्वाचक के मकान में ताला लगा पाते हैं तो भिन्न समय अथवा रात के समय उन निर्वाचकों के निवास स्थल पर जाना चाहिये, जब काम पर जाने वाले व्यक्ति सामान्यतः घर पर उपलब्ध रहते हों।

(xiv) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को अपने अभिलेखों/पंजियों को नियमित रूप से और सही–सही संधारित करना चाहिये।

(xv) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें आवंटित मतदान केन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत कोई नवविकसित कॉलोनियां छूट तो नहीं गई हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र का नजरी नक्शा तैयार करना चाहिये तथा योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिये।

(4) **विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों का नामांकनः–**

(क) **कम आयु वर्ग के व्यक्ति**– निर्वाचक सूची में किसी परिवार के निरर्हित श्रेणी के व्यक्तियों के निबंधन की पूर्ण जिम्मेवारी परिवार के मुखिया की होगी, जिसने घर–घर जा कर सर्वेक्षण किये जाने के समय सर्वेक्षण कार्ड पर हस्ताक्षर किये हों। मिथ्या घोषणा करने की सजा एक वर्ष तक की कैद, अथवा जुर्माना, अथवा दोनों, हो सकती है। यदि निर्वाचक सूची की तैयारी के समय ज्ञात होता है कि परिवार के मुखिया द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर परिवार के अयोग्य लोगों का निर्वाचक सूची में निबंधन हो गया है तो इसे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के संज्ञान में लाया जाये, ताकि परिवार के मुखिया के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके।

(ख) **अनाथः**– यदि किसी अनाथ का बचपन से ही पालन–पोषण अनाथालय में हुआ है तथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह निर्वाचक सूची में निबंधन के योग्य है तथा अपने माता–पिता का नाम नहीं बता सकता तो मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उसका नाम अंकित किया जायेगा तथा उपस्तम्भ में, जहाँ माता/पिता/पति का नाम भरा जाना है, मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उस स्थान पर अनाथालय का नाम भरा जायेगा। यदि अनाथ का पालन–पोषण अनाथालय में न होकर किसी परिवार में हुआ है तो मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी उस परिवार के मुखिया का नाम माता/पिता/पति के स्तंभ में अंकित करेगा। यदि किसी अनाथ को किसी परिवार ने वैधानिक रूप से गोद लिया है तो गोद लेने वाले माता–पिता का नाम उस स्तंभ में अंकित किया जायेगा। उपर्युक्त के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होने वाले मामलों में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उस स्तंभ में ''ज्ञात नहीं'' अंकित किया जायेगा तथा रिश्ते के स्तम्भ में ''अन्य'' अंकित किया जायेगा।

(ग) **गृहविहीन व्यक्ति** : प्ररूप 6 में दिये गये उस पते पर मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी रात्रि में दौरा करेगा, जो गृहविहीन व्यक्ति द्वारा प्ररूप 6 में दिया गया है तथा जहां वे सोते हैं। यदि मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी यह सत्यापन कर पाने में सफल हो जाता है कि गृहविहीन व्यक्ति उसी स्थल पर सोता है तो निवास स्थान प्रमाण के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी जांच के लिए बी0एल0ओ0 को एक से अधिक बार रात्रि के समय जाना चाहिये।

(घ) **हॉस्टल / लॉज में रहने वाले विद्यार्थी** :– गहन पुनरीक्षण के दौरान, जब नये सिरे से निर्वाचक सूची तैयार करने हेतु घर–घर जा कर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा हो, मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी किसी भी ऐसे विद्यार्थी, जो अपने अभिभावक के साथ नहीं रहता है, के नाम की गणना परिवार के अन्य सदस्यों की घोषणा के आधार पर नहीं करेंगे। गहन पुनरीक्षण के दौरान उनके नाम की गणना उनके छात्रावास में भी नहीं की जायेगी, परंतु वे वास्तविक छात्र/निवासी होने के प्रमाण के साथ प्ररूप–6 में आवेदन दे कर अपने आवास/छात्रावास के पते पर निर्वाचक के रूप में अपना नाम निबंधित करा सकते हैं।

(5) सामान्य निवास को आधार बना कर बिना उचित प्रक्रिया अपनाये, जैसे प्ररूप 7 प्राप्त किये बिना, निर्वाचक सूची से कोई नाम विलोपित नहीं किया जाना चाहिये। प्ररूप 7 तब तक प्राप्त नहीं किया जाना चाहिये जब तक उसमें आपत्तिकर्ता का सम्पूर्ण विवरण तथा जिस निर्वाचक के संबंध में आपत्ति की गयी है, उसका पूर्ण विवरण एवं आपत्ति के कारणों का समुचित स्तम्भों में उल्लेख नहीं हो। प्ररूप 7 के लिए आवश्यक है कि आपत्तिकर्ता निर्वाचक सूची से सम्बन्धित प्रविष्टियों का पूर्ण विवरण दें। यह बात ध्यान में रखी जाये तथा जब तक पूर्णतया सन्तुष्टि न हो, ऐसी आपत्ति प्राप्त करने से नियम 17 के अन्तर्गत मना किया जा सकता है।

(6) संशोधन के लिए प्ररूप 8 में प्राप्त आवेदनों के भाग IV में उन विवरणों का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये जिन्हें संशोधित किया जाना है। यदि यह विवरण नहीं दर्शाये गये हैं तो प्ररूप 8 प्राप्त करने से मना किया जा सकता है। आवेदक को यह परामर्श दिया जाये कि वह जो भी संशोधन कराना चाहता है, उसके लिये दस्तावेज संलग्न करे।

(7) **प्राप्त प्ररूपों पर की जाने वाली कार्रवाई :–** प्रत्येक मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, दो प्रतियों में दावों की सूची, प्ररूप 9 में (प्रारूप **परिशिष्ट 4.6 पर**), नाम शामिल करने से सम्बन्धित आपत्तियों की सूची प्ररूप 10 में (प्रारूप **परिशिष्ट 4.7 पर**), निर्वाचक सूची में दर्ज विवरण पर आपत्तियों की सूची प्ररूप 11 में (प्रारूप **परिशिष्ट 4.8 पर**) तथा स्थानान्तरण से सम्बन्धित आवेदनों की सूची प्ररूप 11क में (प्रारूप **परिशिष्ट 4.9 पर**) तैयार करेगा। मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी प्राप्त सभी प्रपत्रों की सूची तैयार करेगा तथा उन्हें अपने कार्यालय पर प्रदर्शित करेगा। अभिहित पदाधिकारी चारों सूचियों की एक–एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा, जिनमें वैसे सभी प्रपत्रों का विवरण अंकित होगा, जो प्रपत्र उसे सीधे प्राप्त हुये हैं तथा जो प्रपत्र उसे मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार की सूचियों का संधारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 15 के अन्तर्गत अनिवार्य है। अभिहित पदाधिकारी इसे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भेजेगा।

(8) **मतदाता फोटो पहचान पत्र का वितरणः–** मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र वितरण के पूर्व उसकी अच्छी तरह जांच कर ली जानी चाहिये। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या, निर्वाचक की आयु, पता व नाम इत्यादि की जांच कर लेनी चाहिये। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पर उसकी फोटो की जांच कर लेनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि फोटो से निर्वाचक पहचान में आ रहा है अथवा

नहीं। यदि नहीं, तो मतदाता का फोटो पुनः खिचवाना चाहिये। मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सही निर्वाचक को ही दिया जा रहा है और उससे उसकी प्राप्ति रसीद भी प्राप्त करनी चाहिये। किसी भी स्थिति में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र वितरण हेतु किसी मध्यस्थ/अन्य व्यक्ति को यह कार्य नहीं सौंपना चाहिये।

9. **बी0एल0ए0 के साथ समन्वयः–**

अपने कार्य के सम्पादन में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी स्थानीय बी0एल0ए0 से सहायता ले सकता है। वह बी0एल0ए0 के साथ बैठकर प्रारूप निर्वाचक सूची में शुद्धियाँ इंगित कर सकता है। बी0एल0ए0 की सहायता से मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी नये योग्य निर्वाचकों को पंजीकरण हेतु प्रेरित कर सकता है।

10. **प्रारूप निर्वाचक सूची के सत्यापन हेतु ग्राम / वार्ड सभा /आर0डब्लू0ए0 का उपयोगः–** निश्चित तिथि पर मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी ग्राम / वार्ड सभाओं में सम्बन्धित भाग की प्रविष्टियाँ पढ़ कर सुना सकता है। ऐसी सभाओं में गांव के लोगों विशेषतः बड़े बूढ़ों, वार्ड सदस्यों तथा उन लोगों को, जिन्होंने पिछला ग्राम सभा निर्वाचन लड़ा था परन्तु जीत नहीं सके थे, आमन्त्रित कर सकता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी पंजीकरण हेतु आर0डब्लू0ए0 से सम्पर्क कर सकता है। नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम, टाउन एरिया समिति, छावनी परिषद, मोहल्ला सुधार समिति, झुग्गी झोपड़ी सुधार समिति इत्यादि की विशेषतः बुलाई गई बैठकों में मतदाता सूची पढ़कर सुनाई जा सकती है। ऐसी सभाओं में उपस्थित लोगों के सहयोग से मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी स्वयं को स्थानीय निवासियों से परिचित करा सकता है। ग्राम / वार्ड सभा की गोष्ठियों में फोटो जमा करने तथा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों के वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं।

(11) राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रमों का संचालन :– मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करना है। उसे स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं व नये निर्वाचकों, को ऐसे कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिये। इस अवसर पर मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी नुक्कड़ नाटक, वाद–विवाद प्रतियोगिता, नवपंजीकृत निर्वाचकों के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र वितरण आदि का कार्य कर सकता है।

(12) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन :–

(i) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को ध्यान रखना चाहिये कि उसके कार्यों का 'रैन्डम' (random) मूल्यांकन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी इत्यादि द्वारा समय–समय पर किया जा सकता है।

(ii) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी निर्वाचन के कार्य के साथ अपने विभागीय कार्य भी करते रहते हैं, अतः निर्वाचन से सम्बन्धित उनके कार्यों के मूल्यांकन की प्रकृति साधारणतः 'रैन्डम' (random) होगी, औचक नहीं। मूल्यांकन के सत्यापन हेतु अधिकृत सभी पदाधिकारी सत्यापन कार्यक्रम की पूर्व सूचना मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को देंगे ताकि सत्यापन के समय मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहें।

(iii) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य का अनुश्रवण व मूल्यांकन आयोग द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट (परिशिष्ट–8.2) में सत्यापन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।